DR. HARSH VARDHAN: Sir, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up further consideration of the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. Shri Prahlad Singh Patel.

The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल): महोदय, मैंने पिछले सत्र के दौरान सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को सदन के सामने रखा था। मैंने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 20?9 को पिछले सत्र के आखिरी दिन introduce किया था। मैं सदन से चाहता हूँ कि चूंकि यह बिल लोक सभा से पारित हो चुका है और इसमें ऐसे भी कोई प्रावधान नहीं हैं, जलियांवाला बाग की शताब्दी भी पूरी हो गई है, इसलिए में चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोक सभा ने इस बिल को पास किया है, उसी प्रकार से यहां से इसे पास किया जाए। इसमें जो संशोधन हैं, वे बहुत छोटे- छोटे संशोधन हैं। हमने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) में दो संशोधनों को प्रस्तृत किया है, जिनको लोक सभा ने पारित किया है। उनमें से पहला इस प्रकार से है - खंड (ख) का लोप किया जाना और दूसरा, खंड (घ) में मामूली संशोधन यह है कि लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विपक्षी दल का नेता या जहां ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता न्यासी होगा। यह एक बहुत छोटा संशोधन है। तीसरा संशोधन मूल अधिनियम की धारा 5 में है, वह यह है कि धारा 4 के अनुसार अगर किसी न्यासी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसको अगर सरकार चाहे तो उस कार्यकाल को 5 साल के पहले ही समाप्त करके उस पर पूनर्नियुक्ति कर सकती है। इस बिल के अंतर्गत ये तीन छोटे-छोटे संशोधन हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार लोक सभा ने इसे पारित किया है, उसी तरह से यह सदन भी इसे पारित करे। क्योंकि जलियांवाला बाग के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वह एक राष्ट्रीय स्मारक है, तो उसका स्वरूप भी एक राष्ट्रीय स्मारक की भाँति होना चाहिए। देश के तमाम वे लोग, जो उसके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उनकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, ताकि इस न्यास का एक राष्ट्रीय स्वरूप हो। मैं सदन से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि हम सब इस बिल को पास करें।

The question was proposed.

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): सर, इस बिल में ये जो अमेंडमेंट चाहते हैं, इस अमेंडमेंट का बहुत सारे लोगों को, विशेष तौर पर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस की ideology को believe करने वाले लोग हैं या जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में एक नुमायां रोल अदा किया है, उन सभी को इस पर एतराज़ है। गवर्नमेंट यह जो अमेंडमेंट लाना चाहती है, मैं समझता हूँ कि यह बड़ा cynical है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल राज्य सभा के 250वें सेशन की शुरुआत में, जो एक historic Session था, एक बात कही कि आज टाइम है, जब गवर्नमेंट और

Opposition सभी इक्ट्ठे होकर देश की बेहतरी के लिए, society की बेहतरी के लिए काम करें। पार्लियामेंट का मकसद ही यह है। यही बात मैं आज की गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस के कोई भी अध्यक्ष हैं, वे ex-officio Member हैं, क्योंकि काँग्रेस का इतिहास जिलयांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। यह नाखुन और मांस के रिश्ते के बराबर है। आप इन्हें दूर नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ कि जो भी आदमी यह बिल लेकर आया है, unfortunately उसने इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन् 1951 में जब डा. अम्बेडकर इसे लेकर आए थे, तब उनका basic purpose यही था कि इसमें exofficio members होने चाहिए। मैं थोड़ा-सा इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैसाखी के त्यौहार की पंजाब में एक बहुत बड़ी historic बात यह है कि 13 अप्रैल, 1699 को खालसा पंथ की सर्जना हुई थी। हमारे दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की सर्जना की, तो बैसाखी एक बहुत अहम त्योहार है। उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय wheat की cutting शुरू होती है, harvesting शुरू होती है और जब फसल जमीदार के घर आती है, वह बैसाखी के दिन आती है। वैसे भी पंजाब में यह हफ्ता कई activities का होता है। इस समय किसान भाई आशा करते हैं कि हमारी फसल आएगी और घर का काम चल पाएगा। मगर उन दिनों, मैं वर्ष 1919 की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विशेषकर पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब और हमारे पंजाब में और विशेषकर अमृतसर में, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे क्योंकि उस समय Rowlatt Act आया हुआ था। प्रदर्शन के चलते हुए 10 अप्रैल को ऐसा प्रदर्शन हुआ, जहाँ गोली चली और हमारे कुछ लोग घायल कर दिए गए, कुछ मार दिए गए। उस समय हमारे काँग्रेस के एक बहुत इम्पॉर्टेट लीडर सैफुददीन किचलू साहब और डा. सत्यपाल जी की गिरफ्तारी हुई। लोगों की मांग थी कि उनको रिहा किया जाए। उस टाइम ब्रिटिश जनरल का नाम Michael O'Dwyer था। He was the Lieutenant Governor of Punjab. उसकी और जनरल डायर की यह कोशिश थी कि इन पंजाबियों को सबक सिखाना पड़ेगा। ये हमारे खिलाफ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और शोर-शराबा कर रहे हैं। बैसाखी के त्यौहार पर जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए, वह गोल्डन टेम्पल के बाहर जिलयांवाला बाग में बिल्कुल peaceful congregation था। मेरे ख्याल से ऐसा हमारा कोई साथी नहीं है, जो वहाँ न गया हो। सर, वहाँ एक open space था। वहाँ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि काँग्रेस के इम्पॉर्टेंट लीडर्स को छोड़ा जाए। दो दिन पहले जो जुर्म किया गया था, उसके खिलाफ मुज़ाहिरा हो रहा था और उनकी कोशिश थी कि अब वक्त आ गया है कि इनको एक दफा सबक सिखाया जाए। इसलिए जलियाँवाला बाग के जो सभी रास्ते थे -- वह छोटी-सी जगह थी, जहाँ दो-तीन स्ट्रीट्स जाती थी -- उनमें इन्होंने अपने आदमी खड़े किए। चंद दिन पहले ही General Dyer was posted as Brigade Commander in Jalandhar, उसको अमृतसर में शिफ्ट किया गया था और वहाँ मिलिट्री का रूल लगा दिया गया था, जहाँ 1,700 राउंड फायर किये गये। Peaceful demonstrators के ऊपर 1,700 राउंड फायर किये गये। ब्रिटिश कहते हैं कि 380 लोग मारे गए। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं काँग्रेस की

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

बात बताना चाहता हूँ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। उन्होंने अपनी इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी में पता चला कि तकरीबन 1,500 लोग मारे गए थे। वैसा gruesome massacre उस वक्त तक की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ वह पहली चिंगारी थी। देश को आज़ाद करने की जो असल पहली चिंगारी शुरू हुई, वह जिलयाँवाला बाग से ही शुरू हुई। उसी के आगे का इतिहास यह है कि तब हमारे शहीद उधम सिंह 18 साल की उम्र के एक छोटे-से बच्चे थे। उन्होंने कसम खायी कि जिसने इतना बड़ा कत्लेआम किया है, उससे में बदला लूँगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल से वह बदला 20 साल बाद इंग्लैंड में जाकर लिया। उन्होंने लंदन में जाकर रिवॉल्वर खरीदा और फिर उससे उसका कत्ल किया। जब उनको पुलिस ने मौके पर जाकर गिरफ्तार किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खोफ नहीं है। मुझे बदला लेना था, सो ले लिया। अब मैं यहाँ से भागूँगा नहीं, मुझे आपको जो सज़ा देनी हो, आप दे सकते हैं।

सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि तब पंडित मदन मोहन मालवीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे और सष्टी चरण मुखर्जी साहब, जो कि वैस्ट बंगाल से थे, who was a very important leader. तब कांग्रेस ही एक जमात थी जो नेशनल स्ट्रगल को चला रही थी और वही सारे देश को इकट्ठे होने का आह्वान कर रही थी। उन्होंने तब फैसला किया कि इतने बड़े massacre के बाद कांग्रेस का एक इमरजेंसी सेशन अमृतसर में बुलाया जाए। फिर उसी साल, 27 दिसम्बर, 1919 से लेकर 1 जनवरी, 1920 तक चार दिनों का सेशन हुआ। वहाँ यह फैसला हुआ कि हम यहाँ पर एक मेमोरियल बनाएँगे। अंग्रेजों की कोशिश यह थी कि इतना बड़ा massacre है, इसको छुपाया जाए, इसलिए उन्होंने प्रपोज़ किया कि हम यहाँ पर एक क्लॉध्य मार्केट बना दें, दरबार साहिब के बिल्कुल बगल में कपड़े की एक मार्केट बना दें। मगर, उस सेशन में वहाँ पर मेमोरियल बनाने का रिजॉल्यूशन मूव हुआ, उसको adopt किया गया और तब महात्मा गाँधी ने हिन्दुस्तानियों से यह अपील की कि आप सभी लोग पैसे दीजिए, हमें जमीन खरीदनी है। उसके बाद यह मेमोरियल बना और ट्रस्ट अस्तित्व में आया।

मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो यह रिश्ता है, हमें हिस्ट्री को अब rewrite करने की जरूरत नहीं है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आज कांग्रेस प्रधान को हटा दीजिए, लेकिन इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं है। इसमें गवर्नमेंट अपने नॉमिनीज़ बढ़ा सकती है। इसमें एक बात तो यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष चाहे जो भी हो, उनका नाम -- क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा रिश्ता नाखून और मांस का है और यह दूर नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हम अभी इसका 100वाँ साल मना रहे हैं। जिलयाँवाला बाग की anniversary का यह 100वाँ साल है और इस टाइम पर सारे देश से एक आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन यह तो बहुत छोटी बात है, एक कमदिली की बात है। नरेन्द्र मोदी जी जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाओ। उन्होंने खुद भी माना कि जहाँ हमारी पार्टी ने in the past

इधर जो कमी-बेशी की है, वह हमें भी दूर करनी होगी। यही मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा। आप बड़ा दिल रखिए। गवर्नमेंट में जो रहता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए, magnanimous होना चाहिए। अपोज़िशन वालों की सोच तो कभी कम हो भी सकती है, क्योंकि हर रोज उनके खिलाफ गवर्नमेंट का कुछ न कुछ ऐसा ऐक्शन होता रहता है कि उनके दिल में गुस्सा हो सकता है, मगर गवर्नमेंट को magnanimity दिखानी चाहिए। मैं यह कहूँगा कि आप कृपा करके यह मत लाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप in the past देखिए कि देश में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आने वाले टाइम में फिर कभी बन सकती हैं, किसी और की गवर्नमेंट भी आ सकती है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हर रोज़ एक का नाम आएगा, दूसरे का बदलता रहेगा। We should not do this. This is a part of history. Ex-officio member कांग्रेस अध्यक्ष हो, तो उससे क्या फर्क है? आपकी जितनी मर्ज़ी हो, उतने nominees रखिए।

दूसरा यह कि उसमें एक अन्य objection यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम किसी trusty को भी terminate कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी की सोच आपके खिलाफ है तो आपकी जब मर्ज़ी होगी, आप उसे terminate कर देंगे। यह तो कोई बात ही नहीं बनती।

तीसरी मेरी गुजारिश यह है कि जो अमृतसर का लोकल representative है, जिसकी constituency में जलियांवाला बाग पड़ता है, who is an elected Member - he could be from the BJP, he could be from the Congress, he could be from the Akali Dal, he could be from any other party -- should be a permanent member of that trust. मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें हैं, जिनके बारे में मैं मिनिस्टर साहब को अपील करूंगा। मंत्री जी, अगर आप मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, मंत्री जी, मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करना चाहुंगा कि आप ये जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, यह गलत है। आपको जिसने भी यह Idea दिया है, गवर्नमेंट को इससे बुराई ही मिलेगी, कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। लोग पढ़-लिख चुके हैं। लोग ऐसी बातों को अच्छा नहीं समझते। मैं चाहुंगा कि आप इसे withdraw कीजिए। आप magnanimity दिखाइए। नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा है, उस पर अमल कीजिए। हमारे चेयरमैन साहब ने कल ही जो बात कही है, पार्लियामेंट का फायदा ही क्या है, अगर अमल ही नहीं करना है। अगर बात ही कहनी है और उसमें कुछ करना ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि जैसे एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, बशीर जी, उन्होंने यह बात कही कि "दुश्मनी जमकर करो, लेकिन गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों"। हमें रोज़ मिलना है, थोड़ी देर के बाद, गहलोत साहब आपको फिर ज़रूरत पड़ जानी है Leader of the Opposition, गुलाम नबी आज़ाद साहब की, आपको फिर ज़रूरत पड़ जानी है opposition के सभी लोगों की, फिर आप कहेंगे कि हमारी बात भी मानो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि history को rewrite मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए, जिससे हम लोगों में शर्मिन्दगी हो। मेरी गुजारिश यह है कि आप इसको withdraw कीजिए।

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

अगर चेयर से इजाज़त हो तो मैं अपनी तरफ से एक गुज़ारिश करना चाहूंगा, क्योंिक हम शहीदों का 100वां साल मना रहे हैं, जो जिलयांवाला बाग में शहीद हुए और जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। मेरी गुजारिश यह है कि अगर हम उनको सही मायने में tribute देना चाहते हैं तो मेरी अपील है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि शहीद-ए-आज़म, महान शहीद भगत सिंह जी को इस साल भारत रत्न से नवाज़ें। हम चाहेंगे कि सारा हाउस unanimously, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। भगत सिंह जी का नाम तो आप सभी लेते हैं। पता नहीं आपकी बात किसी को माननी भी है या नहीं माननी हैं, मगर हाथ उठाने में क्या हर्ज है। मुंडर साहब आप हाथ उठाएंगे? मुंडर जी ने हाथ उठा दिया। अकाली दल हमारे साथ है। ...(व्यवधान)... मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): मैं इजाज़त ले सकता हूं। Point of order, please. मेरा सजेशन यह है कि 'मारत रत्न' के अलावा भी जो सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर, इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ था, उसका बदला लिया, उनको भी हिस्सा देना चाहिए और उनकी फोटो भी यहां लगनी चाहिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: यह मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप बड़ा दिल दिखाइए और इस resolution को वापस लीजिए। यह एक अच्छी शुरुआत होगी- 250वें historic session का फायदा तो यह है। अगर उन्ही बातों पर रहे तो फिर उसका फायदा क्या होगा? आपने मार्शल की वर्दी भी बदली, अच्छा किया। हम अपने कई कानून बदल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर आप उसमें सोच भी बदलिए। वर्दी बदलने से बात नहीं बनेगी। सोच बदलने से बात बनेगी। आप इसे withdraw कीजिए। मैं अपने भाई, मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अच्छे आदमी हैं, मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश के लोग तो बड़े दिल वाले होते हैं। आज बड़ा दिल दिखाइए और withdraw कीजिए। इतिहास में आए कि अगर कही गलती हुई, कोई पार्टी अगर historic गलती मानती है, तो उससे लोगों में उसकी बात जमती है। आप इसे withdwar कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी को इस साल गवर्नमेंट 'भारत रत्न' से नवाज़े और जिलयांवाला बाग के शहीदों का हम जो शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उसके बारे में सारी दुनिया में एक आवाज़ जाए। सारी दुनिया में Indian diaspora जहां भी बैठा हुआ है। आप बाहर दूर-दूर तक मीटिंग्स भी करते हैं, वे अमेरिका तक, दूर तक आपकी वाह-वाह भी करते हैं, तो वे भी यही चाहते हैं। हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनकी बातों को आपको बताना चाहते हैं। जहां वे वाह-वाह करते हैं, वे हमें भी मैसेज भेजते हैं कि बाजवा जी, आपने पार्लियामेंट में बोलना है, आप हाथ जोड़कर गुज़ारिश कीजिए और वे मानेंगे। मुझे अपने माई पर यकीन हैं कि ये इस बिल को withdraw करेंगे। यह एक बिल्कुल * अमेंडमेंट है। आप लोग बड़ा दिल

^{*}Withdrawn by the hon. Member.

दिखाइए और भगत सिंह जी को आज नवाजिए, तो सारा देश आपको याद करेगा। आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, प्रताप सिंह बाजवा जी। श्री श्वेत मलिक।

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): सर, यह * लफ्ज withdraw किया जाए। This is unparliamentary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be checked. मैंने already कहा है, it will be checked.

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मेरे भाई नाराज़ हो गए हैं ...(व्यवधान) ... मैं हाथ जोड़कर withdraw कर रहा हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shwait Malik.

SHRI SHWAIT MALIK: Sir, I rise to speak on the jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019.

"जिथे बुलदा खून शहीदां दा, महक मिट्टी विच सदियां तक रहंदी।"
"शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

सर, मैं उस धरती अमृतसर से आया हूं। बाजवा जी जानते हैं कि यह prime land of sacrifice है। यह जो शहीदी स्थल जिलयांवाला बाग है, उसके लिए जो अमेंडमेंट लाया गया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक अन्याय का अंत हुआ है। मैं यह सुझाव ढूंगा और माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई भी ढूंगा कि आने वाले समय में शहीदी स्थलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहीदी स्थलों पर किसी राजनीतिक पार्टी का अधिपत्य नहीं होना चाहिए, यह इस बिल का उद्देश्य हैं। देश को जो आज़ादी दिलाई, वह देशवासियों ने दिलाई। सभी देशवासी इकट्ठे हुए थे। उनका कोई धर्म अलग नहीं था, उनकी कोई राजनीतिक पार्टी अलग नहीं थी, उन सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई थी और आज यह जो वर्षों से अन्याय चल रहा है, उसका खात्मा हुआ है, तो मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और यह भी बधाई देता हूं कि सरकार निष्पक्ष रही। जो Leader of the Opposition हैं, वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। जैसे बाजवा जी ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है, तो यह भी न्याय है कि Leader of the Opposition or leader of the largest group of Opposition party in the Parliament इसके मेम्बर होंगे, वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। इसको हम न्याय कहेंगे, जो ये बिल में लेकर आए हैं। सर, जिलयांवाला बाग में बहुत भीषण हत्याकांड हुआ। मैं उसे इसीलिए prime land of sacrifice कहता हूं क्योंकि निर्दोषों के ऊपर ऐसा भीषण बर्बरतापूर्ण

^{*}Withdrawn by the hon. Member.

[Shri Shwait Malik]

हत्याकांड आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिला। 3 अप्रैल, 1919 का दिन था। यह जो रोलेट एक्ट लगाया था, जो बहुत अन्यायपूर्ण था, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक हज़ारों लोग वहां अमृतसर में जिलयांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। केवल वहीं इकट्ठा नहीं हुए थे, बहुत लोग ऐसे भी थे, जो अपने परिवारों के साथ वहां पर समय व्यतीत करने के लिए आए थे।

सर, बैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा त्यौहार है। फसल कटने के बाद किसान खुशी और हर्ष के साथ अपने परिवार के साथ बैसाखी मनाते हैं। पंजाब के लिए बैसाखी मानों दिवाली जैसा त्यौहार ही माना जाता है। वह दृष्ट, तानाशाह ब्रिगेडियर जनरल डायर 100 लोगों की हथियारबंद टुकड़ी लेकर आया। वहां entry के लिए एक संकरी सी गली है, ज्यादा exit points नहीं हैं। जो लोग वहां शांतिपूर्वक बैठे थे, उन पर वहां उस ब्रिगेडियर जनरल डायर ने एक भीषण आतंक का तांडव खेला और निर्दोष लोगों पर हजारों राउन्ड गोलियां चलाई गईं। वे निहत्थे लोग अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाए। वहां पर एक कुआं था, उसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांगें लगा दी। सैकड़ों लोगों के शवों के साथ वह कुआं भर गया। वहां काँग्रेस का लंबा ट्रस्ट रहा, ट्रस्ट तो क्या रहा, आज वहां कुछ है ही नहीं है, कोई figure नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। जो प्रत्यक्षदर्शी लोग उस समय वहां पर थे. उन्होंने कहा कि हजारों निर्दोष लोग मारे गए हैं - लगभग 18 सौ के करीब - कोई दो हजार की figure कहता है। उस जगह पर हजारों लोग जख्मी हए। उसके बाद वहां पर memorial trust बनाने के लिए 1920 में इसकी चिंता हुई। 1961 में जाकर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने वहां पर ट्रस्ट की स्थापना की। सर, ट्रस्ट का जो दायित्व था, वह यह था कि शहीदों की जो शरणस्थली थी, जहां उन शहीदों की पवित्र आत्माएं विश्राम कर रही थी, वहां सुधार हो, क्योंकि लाखों श्रद्धालु वहां पर शहीदों को नमन करने जाते हैं। वहां शहीदी कुआं भी है, वहां bullet marks भी हैं, वहां पर torch भी है और वहां पर शहीदों की याद में दिव्य ज्योति भी है। मैं आपको बड़े कष्ट का विषय बता रहा हूं कि लम्बे समय तक वहां पर काँग्रेस निर्देशित ट्रस्ट रहा, and that place was in pathetic condition. सर, 2016 में वहां जो हालत हुई, this is very much on record, जो मैं आपको बता रहा हूं और अगर कोई contradiction हो, तो anybody can check it from Google. जब मैं 2016 में सांसद बना, क्योंकि मैं अमृतसर का निवासी हूं, मैं सांसद तो राज्य सभा से बना, तो जब मैं शहीदों की स्थली पर गया, तो वह मेरे लिए अश्रुपूर्ण दिन था, भावुकता का दिन था कि वे महान शहीद, वे निर्दोष शहीद, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उन शहीदों की शरणस्थली की ऐसी बुरी हालत मैंने देखी, न वहां पर शौचालय काम कर रहे थे, न वहां पंखे लगे हुए थे, यात्री जो थे, वे बहुत ही मुश्किलों से वहां पर इकटठे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाग हो। वहां कोई गाइड नहीं था, कोई बता नहीं रहा था about the golrious historical backgroun of the Bagh, that particular prime land of sacrifice. शौचालय शुरू कराने के लिए, पीने का पानी शुरू कराने के लिए, उस कांग्रेस के ट्रस्ट के होते हुए मैंने 10 लाख रुपये अपने MPLADS फंड में से खर्च किए | spoke twice or thrice in

the Parliament on this issue. मैं धन्यवाद करूंगा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, धन्यवाद करूंगा डॉ. महेश शर्मा जी का, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर वहां विजिट किया और धन्यवाद करूंगा उन स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, धन्यवाद करूंगा सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का और धन्यवाद करूंगा प्रहलाद पटेल जी का। प्रहलाद पटेल जी, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, वे आए तो सुल्तानपुर लोधी में थे, उन्होंने विशेष रूप से वहां की जो शहीदों की मिट्टी थी, वह वहां से सौ वर्ष के बाद लाकर National Museum में रखी है। सर, आज में प्रहलाद पटेल जी का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, जो पूर्व मुख्य मंत्री रहे और सरदार तरलोचन सिंह जी, जो Minority Commission के चेयरमैन रहे, उनको आज से लगभग 6 महीने पहले वहां के ट्रस्ट की सेवा दी। तो कांग्रेस के 70 साल और इस ट्रस्ट के छ: महीने - आज मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा वहां पर शानदार विकास के काम शुरू करवा दिए हैं। जलियांवाला बाग की घटना को आज 100 वर्ष हो गए, प्रधान मंत्री जी ने 2019 तक कई कार्यक्रम किए, वहां पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। शहीद उधम सिंह जी, जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने 1940 तक इंतजार किया और उस जनरल माइकल ओ'डायर को खत्म करके बदला लिया। श्री राजनाथ सिंह जी ने उनकी एक प्रतिमा का भी वहां पर अनावरण किया है। वहां पर एक सिक्का जारी किया गया, माननीय उपराष्ट्रपति जी वहां पर पधारे थे। वहां पर एक पोस्टल स्टैम्प जारी की गयी, उस जलियांवाला बाग का 100 वर्षीय साल है। यह नये ट्रस्ट की, छः महीने के ट्रस्ट की कार्यकुशलता, मोदी जी के ट्रस्ट की कार्यकुशलता है जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं। वहां विकास के लिए 70 वर्ष तक जो कुस्थिति थी, वहां की pathetic condition को खत्म करते हुए आज वहां पर एक light and sound show रात्रि को चलेगा, उस show का पूरा विकास हो रहा है और वहां पर एक बढ़िया light and sound show अब चलाया जाएगा।

सर, वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो बुलेट मार्क्स हैं, जो वहां की विरासत है, जो वहां की हैरिटेज है, उसको बचाने के लिए नई टेक्नीक के साथ काम हो रहा है, जिससे कि वह सिदयों तक सुरक्षित रह सके। वहां पर आज बुलेट मार्क्स को प्रिज़र्व करने का काम चल रहा है। वहां पर एक थ्री डी शो के लिए काम चल रहा है, वहां पर इसके लिए एक डिजिटल थियेटर बन रहा है, जिसमें थ्री डायमेंश्नल डाक्युमेंट्री चलेगी। जिन लोगों को वहां आने पर पता नहीं चलता था कि यहां क्या हुआ, शहीदों के बारे में light and sound show और डिजिटल डाक्युमेंद्री से उनको जानकारी दी जाएगी कि जिन महान शहीदों ने अपना जीवन न्योछावर किया था, उनके कारण आज आज़ादी की इन शीत हवाओं का आनन्द हम ले रहे हैं।

सर, वहां पर नये फाउंटेन्स लग रहे हैं। वहां पर landscaping हो रही है, वहां पर पीने के पानी के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो रहा है। सर, वहां पर नये शौचालय बन रहे हैं। वहां पर visitors' gallery में पहले पंखे भी नहीं लगे हुए थे, आप इमेजिन कीजिए कि मई-जून की गर्मी हो, कांग्रेस के ट्रस्ट के समय लोगों के लिए वहां पर पंखे भी नहीं थे, अब वहां

[Shri Shwait Malik]

पर एयर कंडिशंड गैलरी बनायी जा रही है, जिसमें digital panels लगे होंगे। हमारा कोई भी साथी digital panels पर जाएगा, वहां पर historical background होगा।

सर, वहां पर जो शहीदी कुआं है, उसकी आज तक ऐसी स्थिति थी कि उसके पास जाने पर ऐसा लगता था कि कही उसमें गिर न जाएं, उस शहीदी कुएं पर ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर सरकार आयी है कि पूरी depth तक नज़र आएगा, उससे यह जानकारी मिलेगी कि जिन्होंने यहां छलांग लगायी थी, वह कितनी depth पर छलांग लगायी थी। वहां पर ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। वहां की जो सारी पुरानी पिक्चर्स हैं, उनको वहां पर लगाया गया है। मैं आज मंत्री जी से, जो मेरे बड़े भाई हैं, यह निवेदन करूंगा और मुझे यह पता है कि वे मेरे इस निवेदन को स्वीकार भी करेंगे कि आज तक यह स्थल सुबह 6.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक खुलता है और बहुत से ऐसे लोग हैं - वहां पर हरमंदिर साहिब साथ में हैं, जो यहां पर दर्शन नहीं कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको कम से कम रात 8.30 बजे या 9.30 बजे तक खोला जाए और बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, तािक अधिक से अधिक लोग यहां के दर्शन कर सकें।

सर, वहां पर 100वें वर्ष में किवता सम्मेलन हो रहे हैं। वहां पर जिलयांवाला बाग में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार इसके 100 वर्ष मनाने के लिए, जिलयांवाला बाग की याद में सारे देश में आयोजन करवा रही है, तािक लोगों को उस महान शहीदी स्थल की बैकग्राउंड का पता लगे। सर, वहां पर LED स्क्रीन्स भी लग रही हैं। तािक वहां आने वाले विजिटर्स को LED स्क्रीन्स पर पूरा इतिहास पता चले। हर माध्यम को हमारा ट्रस्ट यूज़ कर रहा है, तािक हर एक व्यक्ति को इतिहास का पता लगे कि कितने निर्दाषों ने उसकी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। वहां गाइड्स भी होंगे।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनकी चेयरमैनशिप में, वह स्थल, जहां शहीद विश्राम कर रहे हैं, उसकी सुनवाई हुई है और शहीदों को सलाम किया गया है। प्रधान मंत्री, मोदी जी की वजह से आज वहां करोड़ों रुपए का विकास हो रहा है, जो 70 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन में नहीं हो सका।

श्री सुखेन्दु शेखर राय (पश्चिमी बंगाल): डिप्टी चेयरमैन सर, जिलयांवाला बाग हमारे देश के हर देशप्रेमी के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है। वहां दिनांक 3 अप्रैल, 1919 को जो कुछ घटा था, वह हमारे इतिहास का एक काला चैप्टर बनकर रह गया। उस समय जो मसैकर हुआ और जिस तरह किया गया था, उस बारे में हिन्दुस्तान में सबसे पहले श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कदम उठाया था। उन्होंने शांति निकेतन, विश्वभारती से श्री सी.एफ. एंड्रयूस को महात्मा गांधी जी के पास भेजा और उनके माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी जी से यह प्रार्थना की थी कि वे उनसे दिल्ली में मिलेंगे और वे दोनों जिलयांवाला बाग जाएंगे। यदि वहां जाने पर उन्हें पुलिस गिरफ्तार

करती है, तो वे गिरफ्तार होंगे, तािक इस घटना के खिलाफ ठीक प्रकार से प्रोटेस्ट हो सके। किसी कारण से गांधी जी, टैगोर की इस बात से राजी नहीं हुए। फिर टैगोर ने श्री सी.आर. दास को भी एक प्रोटेस्ट मीटिंग आयोजित करने के लिए बोला, लेकिन वह भी नहीं हुई। यह घटना 13 अप्रैल को घटी और 31 मई तक जब कुछ नहीं हुआ, तो टैगोर ने दिनांक 31 मई को, उस समय के वाइसराय, चेम्सफोर्ड को एक चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी हमारे इतिहास के लिए एक दलील बनकर रह गई। उस चिट्ठी की एक-दो लाइनें में आपकी इजाज़त से यहां क्वोट करना चाहता हूं - "The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position. The severity of the punishments inflicted upon the innocent people and the methods of carrying them out are without parallel in the history of civilised Governments. These are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency to relieve me of my title of Knighthood." इस प्रकार उन्होंने अपना title, Kinghthood छोड़ने की अपील की। इसके बाद राजनीतिक माहौल में कुछ सनसनी पैदा हुई कि कुछ करना चाहिए। धीरे-धीरे कुछ पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुआ। कॉग्रेस पार्टी ने एक सब-कमेटी फॉर्म की। सब-कमेटी ने वहां विज़िट किया और फिर ट्रस्ट बनाने के लिए अमेंडमेंट बिल सरकार लाई।

महोदय, जो हमारे श्री प्रताप सिंह जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने श्री उधम सिंह के बारे में यहां बोला कि उस घटना में, श्री उधम सिंह जी भी उसी दिन शहीद हो जाते, क्योंकि वे उस दिन वहां थे, लेकिन वे किसी तरह से बच गए। उस जमाने में वे 16-17 साल के यूवा थे। किसी तरह वे वहां से निकल गए। बाद में वे अमेरिका गए, अफीका गए और इंग्लैंड गए। लंदन के Caxton Hall में एक सभा बुलाई गई और वह सभा East India Associaiton की थी। उन्हें जानकारी थी कि Michael O'Dwyer, जो कि उस समय, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वे भी उस सभा में भाषण देने के लिए आएंगे। वे उस सभा में छिपाकर पिस्तील ले गए और जैसे ही Michael O'Dwyerभाषण करने आए, उसी Caxton Hall में श्री उधम सिंह ने छ: गोली लगातार फायर करके उसे वही मार दिया। उन्हें पकड़ लिया गया और जब उनका ट्रायल हुआ और जब उन्हें फांसी का ऑर्डर दिया गया, तो उन्होंने जो कहा, मैं उनकी एक लाइन यहां क्वोट करना चाहता हूं- I want to quote one line, "He, means, Michael O'Dwyer wanted to crush the spirit of my people, so I have crushed him. For full 21 years, I have been trying to seek vengeance. I am happy that I have done the job and I hope that when I am gone, thousands of my countrymen will come to free my country." सर, सरदार उधम सिंह जी सिर्फ एक महान शहीद नहीं हैं, बल्कि हमारे देश में जितने शहीद पैदा हुए हैं, उनमें से वे सबसे अधिक, 21 साल तक अपने मन में इस ज्वाला को जलाते रहे कि जब भी हमें opportunity मिलेगी, हम इसका बदला लेंगे और उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे जवाब दिया जाता है। आज जलियाँवाला बाग में उनका मोर्टल रिमेन्स रखा गया है, लेकिन मेरा अनुरोध है

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

कि उसको थोड़ा-सा renovate करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उनका जो मोर्टल रिमेन्स वहाँ पर रखा गया है, उसको थोड़ा renovate करे, जिससे पब्लिक को उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिले। सर, यह मेरी सरकार से अर्ज है।

सर, तीसरा मृद्दा यह है कि वहाँ पर, जिलयाँवाला बाग़ में एक museum है, लेकिन वह museum भी properly maintain नहीं हो रहा है। इस museum को properly maintain करना है, आपको इसको देखना है। आप इस बिल में जो संशोधन लाए हैं, ठीक है, सरकार का एक prerogative होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जो लोग शहीद हुए थे, सैकड़ों आदिमयों की जो हत्या की गई थी, क्या आपने उनकी फैमिली में से किसी को उस ट्रस्ट में रखा है? अगर आपने नहीं रखा है, तो आप उनको लाइए। अगर आप सिर्फ किसी को हटाने के लिए ऐसा अमेंडमेंट लाइएगा, तो लोग सोचेंगे, आम जनता सोचेगी कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। मेरा ऐसा निवेदन है कि उस समय जिलयाँवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे, आप खास कर के उनके जो descendents हैं, उनमें से कुछ लोगों को ट्रस्ट में लाइए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019. The Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951 was enacted to provide for the erection and management of a national memorial to perpetuate the memory of those killed or wounded on the 13th day of April, 1919, in Jallianwala Bagh, Amritsar. In addition, the Act provides for a Trust for the erection and management of the national memorial... ... (Interruptions)...

एक माननीय सदस्य: ये क्या करेंगे, कठपुतली हैं। ...(व्यवधान)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, his mike was on. वह जो कउपुतली वाली बात है, वह यहाँ तक सुनाई दे रही है। ...(Interruptions)...

श्री आनन्द शर्मा: क्या यहाँ पर भी सरकार ने सर्विलांस शुरू कर दी है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर आपस में बातें न करें। Please let him speak.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, what is happening? I am speaking. Let there be no trouble.

narrow entrances. Dyer blocked the main exit. The troops continued to fire into the civilians until their ammunition was exhausted. So, this was a very sad incident in the history of India. The level of casual brutality and the lack of accountability stunned the entire nation resulting in a wrenching loss of faith of the general Indian public in the intentions of the United Kingdom. The ineffective inquiry, together with the initial accolades for Dyer, fuelled great widespread anger against the British among the Indian people, leading to the Non-Cooperation Movement of 1920-22. Some historians consider the episode a decisive step towards the end of the British rule in India. Subsequently,

India became a free nation.

It also provides for composition of the Trust with certain Trustees for life to acquire lands, buildings and other properties for the purpose of the Trust and to raise and receive funds for the purpose of the memorial. The Jallianwala Bagh massacre also known as the Amritsar massacre, took place on 13th April, 1919, when acting Brigadier, General Reginald Dyer ordered troops of the British Indian Army to fire their rifles into a crowd of unarmed civilians at Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab killing at least 400 persons including 41 children, one only six weeks old. Over 1,000 were injured. The Jallianwala Bagh is a public garden of 6.7 acres, walled on all sides, with only five

Now, I would like to talk about the benefits of the proposed legislation. In the existing Act, there is a provision for representation of a single political party. The Bill proposes deletion of the party-specific member from the Trust. Again, the proposed Amendment ensures representation of the Opposition party in the Trust, even in the circumstances where there is no designated Leader of the Opposition in the House of the People. By empowering the Government to terminate and replace a nominated trustee, before expiry of the term, will serve flexibility in the functioning of the Trust.

It is pertinent to note here that for the Trust, under the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951, the State of Tamil Nadu had invested a "sum of ₹ 50,000 in the year 1952. Then, there was an investment by the Government of Madras in 1952, No.D.H.000034 for a sum of ₹ 25,000. I have this evidence. Again, in the same year, there was an investment by the Government of Madras in the year 1952, No.D.H.000035 for a sum of ₹25,000. This shows "the patriotism of people of Tamil Nadu. So, I wanted to mention this here.

As far as this Bill is concerned, my party, AIADMK, welcomes this Bill.

श्री उपसभापति: प्रो. राम गोपाल यादव। ...(व्यवधान)... आप वरिष्ठ लोग बैठ कर बात करेंगे, कहेंगे, तो अच्छा नहीं दिखता, प्लीज़। प्रो. राम गोपाल यादव। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): नवनीत जी, आप हमेशा पूरे सदन को बहुत disturb करते हैं।

श्री ए. नवनीतकृष्णन (तमिलनाडु): नहीं करूँगा।

श्री उपसभापित: माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी जाए, पर वे ही जब बैठते हैं, तो आपस में बात करते हैं। इसलिए आप दूसरों के लिए भी वैसा ही बर्ताव करें। प्रो. राम गोपाल यादव जी, प्लीज़ बोलिए।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, I apologise to my brother.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, जलियांवाला बाग मेमोरियल को लेकर discussion चल रहा है। 13 अप्रैल, 1919 को वहाँ जो घटित हुआ, जितने बड़े पैमाने पर massacre हुआ, उसकी तुलना किसी भी दूसरी घटना से नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, लेकिन जिनकी स्मृति में मेमोरियल बनाया गया, जो लोग मारे गए, उनके परिवारजनों को न तो शहीदी परिवार का दर्जा दिया गया और न आज तक उनकी लिस्ट बन सकी कि उसमें कौन-कौन शहीद हुए थे। चिंता इस बात की होनी चाहिए थी, ताकि आने वाली पीढ़ी यह सोच सके और उनके परिजन यह जान सकें कि हमारे परिवार के लोग भी, जो वहाँ शहीद हुए थे, वहाँ जो नाम पटिटका लगी हुई है या लगाई जानी चाहिए थी, उसमें उनका नाम है। इससे लोगों को थोड़ा सा संतोष होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जितने लोग मारे गए थे, उनकी सूची होनी चाहिए। ट्रस्ट में कौन हो या न हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ट्रस्ट के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, लोगों को उससे कैसे संतुष्टि मिले, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं तो वहाँ गया हूँ, ऐसा कुछ भी नही लगता है कि उन लोगों को याद करने की कोशिश की गई। केवल मेमोरियल ट्रस्ट बनने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर मेमोरियल ट्रस्ट बना है, तो जिनकी मेमोरी में बना है, उनका कुछ नामोनिशान तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वह नहीं है। इसके लिए सूची बननी चाहिए और उनके परिवारों को शहीदी परिवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो भी स्विधाएं उनके परिवारजनों को दी जा सकती हों, अवश्य दी जाएं। जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है, अगर उनके परिवारों में कोई ऐसे लोग हैं, जो गरीब हैं, तो उनके बच्चों के लिए लम्बे अरसे तक, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जिनके बलिदानों की वजह से आज हम आज़ाद हैं, उनके लिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम यह न सोचें कि उनके परिवारों पर कितना खर्च हुआ। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च ही कितना हो सकता है? कुछ तो वे लोग भी होंगे, जिनके परिवारों में कोई बचा ही नही होगा, इसलिए सबसे पहले उनकी सूची बने और उनको सुविधाएं दी जाएं।

जिस अधिकारी ने जिलयांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इंग्लैंड जैसा देश, जो उस वक्?त अपने को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कहता था, उस देश का कोई अधिकारी इस तरह का आदेश दे कि गेट घेर कर खड़े हो जाएं, तािक कोई निकलने न पाए, कोई बचने न पाए और उस सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की। जिस बहादुर उधम सिंह ने उस व्यक्ति से बदला लिया, उन उधम सिंह जी की स्मृति को कायम रखने के लिए वहां उनकी प्रतिमा भी लगाई जानी चािहए। यूं तो उनकी स्मृति बच्चे-बच्चे के मन में है। ...(समय की घंटा)... जिलयांवाला बाग के इतिहास को हम ही नहीं, सारे लोग जानते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वे भी जानते हैं, लेकिन जब लोग जिलयांवाला बाग में जाएं, तो उस बहादुर उधम सिंह जी की प्रतिमा वहां लगी होनी चािहए, तािक सभी देखें कि यह वही व्यक्ति है, जिसने इंग्लैंड जा करके उस ज़ािलम से बदला लिया था।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कार्य में दोनों ही पक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी, किसी पॉलिटिक्स को बीच में न लाएं। शहीदों के बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। शहीदों के परिवारों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता हो, वह करने की कोशिश होनी चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, we must not forget history nor should we try to distort history. So, what is the history behind formation of this trust? More or less, Shri Partap Singh was very well explaining the background of the formation of this trust. Sir, I want to take this House back to 4th December, 1950 when this original Bill was introduced in the Lok Sabha by no less a person than Dr. Ambedkar. Sir, I would just like to read two lines as to what were the objects and reasons of the Bill that was stated in the Bill. I just quote a few lines of the statement of Objects and Reasons of the Bill. " On 27th December, 1919, the Indian National Congress passed a Resolution at Amritsar because the national congregation was held in Amritsar in December that the Jaliianwala Bagh be acquired with a view to raising a memorial therein and perpetuating the memory of those who were killed or wounded in that place on the 13th April, 1919. In pursuance of this resolution, the Jallianwala Bagh memorial fund was started in the year 1919." "The site of Jallianwala Bagh was acquired by this trust which was a creation of the Congress Party. Out of the major portion of the subscription collected, the trustees were appointed in whom the property so acquired and the funds so collected were vested. Shri Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel are the present trustees. The object of this Bill is to place the trust on a permanent statutory basis, establish a body corporate to be known as trustees of Jallianwala Bagh National Memorial, transfer to that body all the property and funds now vested in the

[Shri Prasanna Acharya]

present trustees and confer upon that body all necessary powers for carrying out the object of the trust."

This is the background behind the formation of the trust originally. Sir, this is the history. You cannot segregate the Congress Party from this trust. This is my personal opinion because this is the history. Nobody can deny history, nobody can rewrite history and nobody has a right to distort history. Therefore, Sir, I would appeal to the Government to be magnanimous at this "point of time, as many hon. Members have already stated.

Sir, I would also like to thank this Government for bringing one more amendment. As per earlier provision, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha will be a trustee. Now, there is no recognized Leader of the Opposition in Lok Sabha. Now, they have brought in an amendment saying that the Leader of the largest party will be a trustee. So, I thank the Government for showing magnanimity. The Congress Party had also showed magnanimity in 2006 when they brought in an amendment to incorporate the Leader of the Opposition. Who was the Leader of the Opposition in 2006? It was the BJP who was occupying that seat in 2006. So, in 2006, the Congress Party showed magnanimity and accommodated the Leader of the Opposition, who was a BJP leader. Now, this Government has shown its magnanimity by accomodating the Leader of the largest Party because the Congress Party does not have the required strength to have the Leader of the Opposition. So, both sides have shown their magnanimity, and, now it is the turn of the Government to show magnanimity. It is not a big thing. ...(Timebell rings)... Just one minute, Sir.

By removing the President of the Indian National Congress from the Trust, you cannot change the history of the Freedom Movement. I have already explained the background of the creation of the trust. If I am correct, the facade, the photographs and the records that are displayed in the memorial place are in a wretched condition. Changing and restoring the site of the memorial is more important than changing the board of trustees. This is my personal opinion-. Therefore, the Government should look into it.

Lastly, as you rightly suggested, if we are making any changes and adding some more trustees, why not add a family member, any progeny of Shaheed Udham Singh.

3.00 р.м.

You can include him or her in the trust. Or, you can take any family member of any other shaheed, Shaheed Bhagat Singh, Shaheed Udham Singh or anyone and show your magnanimity. I think, there are three amendments, which the Government has brought. I entirely agree with two amendments where the Government has shown magnanimity, and, regarding the third amendment with respect to removing the Congress President, I would request the Government to reconsider this decision. Thank you.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभापित महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ और इन तीनों संशोधनों का मैं समर्थन करता हूँ।

एक बात जो बार-बार बतायी जा रही है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट का नाम क्यों रखा जाए, हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। हम सब हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919 में थी, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस 1951 में थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी 2019 में है, ये सब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। 1919 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वह सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस समय स्वतंत्रता आन्दोलन का जो संग्राम चल रहा था, उसका नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी, जिसमें और सब लोग थे। अगर इतिहास देखें, तो उसमें लोहिया जी भी थे, अन्य सब लोग थे। इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि साहब, एक समय में इंडियन नेशनल काँग्रेस के अध्यक्ष का नाम था और अब उनको अगर हटाया जा रहा है, तो इसे किसी पार्टी विशेष के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर वह राष्ट्रीय मेमोरियल है, तो क्यों सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष का नाम होना चाहिए? अगर हो, तो जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं, सबका हो और नहीं तो बताएं कि क्या आज वहीं नेशनल कांग्रेस है, जो 1919 में थी, 1951 में थी? अभी आप लोग magnanimity की बात कर रहे हैं। अभी प्रसन्न आचार्य जी पढ रहे थे, शुरू के ट्रस्ट में ही बता रहे हैं, सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं और अभी आप शहीद भगत सिंह को 'भारत रत्न' देने के लिए कह रहे थे। इससे कोई असहमत नहीं होगा। शहीद उधम सिंह को 'भारत रत्न' देने में कोई असहमत नहीं होगा, लेकिन जब आपको मौका था, तब आप 'भारत रत्न' देने में सरदार पटेल को भूल गए, मौलाना आज़ाद को भूल गए, अम्बेडकर साहेब को भूल गए और आप बार-बार magnanimity की बात कर रहे हैं। जब आप थे, तब आपने शहीद भगत सिंह को 'भारत रत्न' क्यों नहीं दे दिया? इन बातों को दोहराएं मत, अब आगे चलना है, इसलिए ये जो अमेंडमेंट्स हैं, बिल्कुल सही हैं।

अब वहां पर जो ट्रस्ट बन रहा है, उसमें लीडर ऑफ दि अपोज़िशन है। अब और अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर बहुमत नहीं हो, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका नेता

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

होगा। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी यह है कि यह एक नेशनल मेमोरियल है। इसमें किस चीज को बताया जाना चाहिए? प्रो. राम गोपाल जी ठीक कह रहे थे कि जो शहीद हैं, उनके परिवार को शहीदी परिवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन का जो पूरे का पूरा इतिहास है और जो हमारा जलियांवाला बाग है, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसकी brutality का सबसे खराब नमूना अगर कोई है, तो वह यही है। हमें यह सब जगह लोगों को बताना पड़ेगा कि देखिए, यह कैसी हुकूमत थी, जिसने किस प्रकार बर्बरता से हिन्दस्तान पर शासन किया। हम 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वी जयंती मना रहे हैं। दूसरी तरफ हम हिन्दुस्तानियों ने इस बर्बरता के विपरीत महात्मा गांधी के साथ चल कर सत्य और अहिंसा के माध्यम से इतना बड़ा साम्राज्य, जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उनको बाहर खदेड़ दिया। हमें समाज में उस बात की भी प्रेरणा देनी है कि जो हिंसा का दौर था, उससे कितना बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ था। ...**(समय की घंटी)**... लेकिन साथ ही जब हमारे बापू जी आए, तो किस प्रकार से हमने जो बर्बरतापूर्वक या हिंसा के आधार पर शासन करना चाहते थे, उनको सत्य और अहिंसा के माध्यम से खदेड़ दिया। इसमें जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ और सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसको किसी एक पार्टी से मत जोड़िए, बल्कि पार्टी भावना से ऊपर उठ कर पूरे देश का जो उससे लगाव है, उसको देख कर चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, राम चन्द्र बाबू। श्री के. के. रागेश जी।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, our great nation is built upon the blood and life of our great martyrs. There were martyrs of Jallianwala Bagh massacre. We have martyrs like Udham Singh, Bhagat Singh, Lal Padma Dhar, Hemu Kaiani, Khudiram Bose and there were martyrs. There were martyrs of Punnapra-Vayalar uprising. There were martyrs of Telangana struggle. There were martyrs of Tebhaga struggle.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) in the Chair]

Our great nation is built upon the sacrifice of those great martyrs. We are discussing this Bill at a time when the nation is paying homage to the martyrs of Jallianwala Bagh massacre in its centenary year. As many hon. Members have already explained it here, hundred years ago, in 1919, hundreds of innocent people were killed there by the British troops under General Dyer. The massacre took place at a critical juncture. It had elevated the national movement, the independence movement. It led to a massive upsurge. It, in fact, triggered the beginning of the end of British Rule in our country. Jallianwala Bagh massacre has always been a source of inspiration and it will

remain a source of inspiration for all of us and also for generations to come. It is extremely important to preserve the great monument for coming generations. But I am concerned about the real intention of the Bill. I don't know whether this Bill is intended just to remove the Congress President from the post of its trustee. I do not know whether any hidden agenda is involved in this Bill. I don't know why those people sitting there are so eager in taking total control of the Jallianwala Bagh Trust because they don't have any role in the great heroic struggles. They don't have any role. Why are they taking such an interest in taking total control? Monuments are not mere monuments. They tell us the great history. Monuments should be associated with history. You are taking total control of that monument. I don't know why. In fact, I am saying this by recalling the recent statement of our Home Minister. The Home Minister said it in public that we need to rewrite the history and that too, in the Indian perspective. Is the present history not in Indian perspective or is it in the perspective of some other country? Why do you want to rewrite the history? You are always afraid of history. You are always afraid of monuments which tell us great stories. You should go through the long pages of history.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

SHRI K.K. RAGESH: You should understand what role you had played. You were, in fact, dancing to the tunes of the Britishers during the time of independence struggle. You were trying to divide the people on communal lines, which was the policy of the Britishers at that time. Britishers were trying to divide the people on communal lines. Divide and rule policy was there. At that time, they were adhering to that. Now, they are so eager in taking total control of a great monument.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Your time is over.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I am doubtful why such kind of an amendment is brought forward. I have no reason to support it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, no. Your time is over. Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I have no reason to support this Bill because I think this Bill is brought forward with ill intention and ill will. Thank you, Sir.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is exactly 100 years after the Jallianwala Bagh massacre incident and after nearly 68 years, the first Bill was introduced. We are again introducing this Bill for some amendments.

Sir, since childhood, one of the aspirations of mine was to go to Jallianwala Bagh and see the site. We have been taught about it at school and we read about the freedom movement, especially the Jallianwala Bagh massacre. Everyone mentioned Shri Udham Singh and one of my lifetime hero, Bhagat Singh. Bhagat Singh was a school boy; he heard about it from his parents, the place where they were living, and when he was returning after the massacre, he collected the blood-stained soil and kept it "in a bottle. It was at his table all the time since his ninth year. That made him become the greatest hero, the greatest fighter and the greatest person who never yielded to anything. So, all these things prompted me to go to that place. When I first had an opportunity, literally, I was shocked. That place, instead of being maintained as a historical site which shaped the national movement and the fight for freedom, has become a tourist spot. People just come and go there, especially the well where the people were forced to jump in. So many people died. Though there are no official statistics of how many died, but there are details that 379 people were killed and 1,200 were wounded. So, most of them jumped into the well one after another. They jumped on others; they died and they were wounded. That well has now got some granite stones. People come there, buy some snacks, eat and go away. This is not the sentiment which we want our posterity or young generations to imbibe. Go to foreign countries and see how they maintain their monuments and historical sites. If something has happened, it should remain so. In Parliament, there was a terrorist attack. Still, there are bullet marks on Building Gate No.1. We can see that in the pillars. But you go and see at the Jallianwala Bagh, so many shots had been fired at, but there are no traces. The well is totally changed. As everyone here mentioned, there are no boards or anything describing the sacrifice of all those people. So, what I would suggest is that before you change the trusteeship or the trust, you have to concentrate on bringing back the Jallianwala Bagh site as it was. If anyone goes there, he should come back being reminded of the freedom struggle and the sacrifice that has been made and the bloodshed.

Sir, I would like to tell one important thing. There was one Ali Hamza in Burma.

In the 1940's, when Netaji Subhash Chandra Bose was forming the INA and was collecting money for his struggle, he was magnanimous enough to give a blank cheque but Netaji took only ₹ 2 lakh. ₹ 2 lakh in the year 1940 is crores of rupees now. Later, that Ali Hamza came back as a repatriate. One month before, his family came for help to some people and some NGOs are helping that family. So a person who donated ₹ 2 lakh for the freedom struggle nearly a hundred years ago, his family is starving now. Like that, those people who had sacrificed their lives in Jallianwala Bagh massacre, their families should also be taken care of.

In this Bill, there are three amendments. We can accept one because it says that the term of the trusteeship is five years and in the Lok Sabha, either the Leader of the Opposition or the Leader of the largest party would be the member. If the Lok Sabha gets dissolved, of course, its term has to expire. So, it could be that as soon as the term of the Leader of the Opposition in Lok Sabha expires, his trusteeship also expires, but the Government takes the power that they can terminate any member from the trusteeship. Therefore, it may lead to authoritarianism. As everyone suggested, we cannot see the freedom struggle without the participation of the Congress Party. Sir, Shri Partap Singh very well pointed out, please be magnanimous. He never spoke harsh words. I would also suggest the same. Kindly do not bring politics in such things. History should be history. Do not rewrite history. You can write history with a few more additions but not taking away anybody else. So, this thing, removing the Congress President and termination at any point of time, we cannot accept.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. Now, Shri Swapan Dasgupta.

SHRI TIRUCHI SIVA: At the same time, I urge the Government to maintain the Jallianwala Bagh site as it was, and it should create a feeling of patriotism in the minds of the youngsters. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. Being a Vice-Chairman, you are not maintaining time.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, we have already heard about the history of the events that led to the Jallianwala Bagh massacre. So, I need not go into

[Shri Swapan Dasgupta]

that. I do not think that the debate today is really about what happened in the past or about rewriting history. The debate, essentially, centres on how history has been received by this generation. I think, everyone would be clear in mind, at least, on one thing that there is no one alive today who either participated in the Rowlatt Satyagraha or was a direct participant at the Jallianwala Bagh. That happens as hundred years have passed since that event. Now, history is seen in a very different way. What we are clear is that the impact of Jallianwala Bagh was not limited to Punjab. It had a national impact. Shri Bajwa spoke erroneously about the effect in West Bengal. There was no such thing as West Bengal in those days. There was just Bengal. My friend from the Anna DMK spoke about the contributions from the erstwhile Madras State. I think we are all clear that this is a national monument. I think the important thing about a national monument, with the passage of generation, is that nobody has a proprietorial interest in this. It belongs to the nation. Just like nobody can have a proprietorial interest in Subhash Chandra Bose, nobody can have a proprietorial interest in what happened in Cellular Jail, they belong to the entire nation. I think it is very important to take that into account today and nobody denies that at that time the Indian National Congress was the major platform on which the Indian National Movement was organized. That cannot be erased from history. But, Sir, just as I will not blame a certain gentleman who invoked history now, and say, "You are the person the Pakistan Resolution." I cannot hold him responsible for that. It would be erroneous. Likewise, I cannot claim credit for what my grandfather did. And, similarly, it is a part of this nation's history. Jallianwala Bagh must remain that. It must get over this. The history of Jallianwala Bagh, the events that led to it will be intact, any methods, any ways to rewrite it is erroneous. ... (Time Bell rings)... But, we are not talking about re-writing. We are talking about how we transfer that legacy to another generation, how we see "It in today's context and that is the important point. ... (Interruptions)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Sorry, time is over. ... (Time Bell rings)...

SHRI SWAPAN DASGUPTA: That is why I would like to support these amendments. Thank you, Sir.

सरदार बलविंदर सिंह भूंडर (पंजाब): आदरणीय चेयरमैन साहब, आज सी साल के बाद जी यह बहस हो रही है, जलियांवाला बाग का जो साका हुआ, इस तरह की घटना दुनिया के इतिहास में शायद कभी भी न घटी होगी। हम जितने भी लोग बैठे हैं, सब history को पढ़ते हैं। उस समय का तो कुछ भी मौजूद नहीं, क्योंकि 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अफसोस यह है कि बहस जिस पॉइंट पर होनी चाहिए, उसकी बजाय मेंबरशिप पर बहस हो रही है कि कौन उसका चेयरमैन हो और कौन न हो। इसमें क्या गलती है कि जो largest party होगी, उसका ही चेयरमैन होगा, permanent Chairman कोई भी नहीं होगा। यह democracy का सिस्टम है, जैसे Prime Minister बदलता है, तो फिर आप Prime Minister भी एक ही बना दीजिए। इसलिए बहस का पॉइंट यह नहीं होना चाहिए। बहस का पॉइंट यह है कि जब जलियांवाला बाग का साका हुआ, कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि वे कौन लोग थे। क्या किसी को पता है कि जो लाहीर Conspiracy Case हुआ, जिसमें सबसे पहले लोग पंजाब में फांसी पर चढ़े, वे पांच लोग कौन थे, किस पार्टी को belong करते थे? क्या किसी को पता है कि लाहीर Conspiracy Case क्या था? शहीद भगत सिंह किस पार्टी के थे, राजगुरू, सुखदेव किस पार्टी के थे, सरदार उधम सिंह, सनाम किस पार्टी के थे? उधम सिंह, सनाम जिसने 21 साल बाद इस देश के लोगों की आत्मा को जगाया और बताया, जब जनरल डायर लंदन में lecture दे रहा था कि ये गीदड़ लोग हैं, तो किसी की जुरर्त नहीं पड़ी, तब उधम सिंह, सामने उठ कर खड़े हुए और बताया कि हम शेर हैं। हम आपके सामने हैं और आपकी धरती पर है, तब उसने सामने से गोली चलाई। ऐसा नहीं कि पीछे से गोली चलाई। सरदार भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए इतनी छोटी उम्र में पार्लियामेंट में बम फेंका। किसी के ऊपर नहीं फेंका, जबकि फेंक सकता था, लेकिन कहा कि मैंने अंग्रेज़ों को जगाया है कि अब देश गुलाम नहीं रहेगा। ये लोग इतनी बड़ी कुर्बानी देकर गए हैं। आज देश के क्या हाल हैं? हम बहस कर रहे हैं कि मेंबर किस ट्रस्ट का हो? इसलिए मेंबर की बजाय, पहले तो वे लोग, जो शहीद हुए है, उनमें 50 परसेंट लोग तो यंग थे, जो शायद unmarried होंगे। जिनके परिवार थे, उनकी लिस्ट लेकर, उनकी जो नेक्स्ट जेनरेशन है, उनकी help करनी चाहिए। पता नहीं वे लोग किस कंडीशन में हैं। जो आज़ादी के परवाने थे, जेल में जिनकी जिन्दगी कटी, जब वे लोग 40 साल बाद रिहा हुए- मैं जब वहां गया, तो वहां के किसी शख्स ने मुझे बताया कि जब हमारे forefathers अपने स्टेट में गए कि हम आपके परिवार के मेंबर हैं, हम वहां से आए हैं तो उनको कहा गया कि आप तो हमारी जायदाद लेने आए हैं, उन्हें घर से निकाल दिया गया। किन-किन हालात में वे लोग देश के लिए लड़े हैं, आज उन परिवारों की मदद करना हमारा फ़र्ज है। और ये जो लोग हैं, उधम सिंह, सनाम जैसे, अभी तक किसी ने उनको 'भारत रत्न' देने का नाम भी नहीं लिया। क्या इस पार्लियामेंट में जो इतनी फोटोज़ लगी हैं, उधम सिंह, सनाम से ज्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है, भगत सिंह से ज्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह सभी की फोटो यहां पर लगनी चाहिए और सबको 'मारत रत्न' मिलना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, जो देश के लिए लड़े हैं, वे किसी राजभाग के लिए नहीं लड़े। अगर राजभाग के लिए लड़ते,

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

तो शायद ये हालात नहीं होते, वे कभी भी पीछे हट सकते थे। मैं सभी पार्टियों की respect करता हूं। सभी लोगों ने कुर्बानियां दी, जब इतना बड़ा बब्बर मूवमेंट चला, ...(समय की घंटी)... वे किस पार्टी के लोग थे? और भी बड़े-बड़े मूवमेंट्स चले। कांग्रेस पार्टी में श्री मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी और सुभाष चन्द्र बोस जैसे लीड्स थे। अगर वह पार्टी क्लेम करती है, तो फिर यह कितने टुकड़ों में बंट गयी है, फिर तो उनको भी साथ लो। कोई बीजू पटनायक की पार्टी बन गई, कोई ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है। ...(ख्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): मुंडर जी, कृपया आप अभी समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

सरदार बलिंदर सिंह भुंडर: इसलिए पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मैं सभी से विनती करता हूं कि अब जो मसला है, वह मसला यह है कि देश के शहीदों को 100 साल बाद याद करने के बाद जहां हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, वही उनका सत्कार भी करें। उन्हें 'भारत रत्न दें, उनकी फैमिली की मदद करें, ताकि आगे लोग कुर्बानी देने की हिम्मत करें कि देश के लोग उन्हें याद करते हैं। हम लोग तो उनको भूल गए हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: हम लोग उनका नाम भी लेने को तैयार नहीं हैं। सर, मैं एक सैकेंड और लेना चाहूंगा। यह मूवमेंट अकेले पंजाब का नहीं था। देश और दुनिया में इसका असर हुआ और पंजाब के लोगों ने, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सब लोग थे और वे आज़ादी के लिए इकट्ठें लड़ रहें थे। लेकिन एक दफ़ा नहीं, जब देश आज़ाद हुआ, तब जिलयांवाला बाग से भी ज्यादा कुर्बानी पंजाब के लोगों ने की। अगर देश के टुकड़े हुए हैं, तो पंजाब के हुए हैं, जहां से आबादी divert हुई हैं, जहां से 10 लाख लोग, हमारे forefathers कुर्बान हुए, जायदादें छोड़ी, जहां हमारी ज़मीनों पर कट लगी। यह पंजाब के लोगों को कुर्बानी का फल मिला कि जहां ज़मीनों को कट लगी। अब और ज्यादितयां हो रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। ...(यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): श्री रीताब्रता बनर्जी।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर: हमें उन्हें शहीद मानना चाहिए, उन्हें 'भारत रत्न' देना चाहिए। उनकी फैंमिली को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि आगे जो लोग कुर्बानी करते हैं, उनका और हौसला बढ़े, ताकि वे अपने देश के लिए कुर्बानी करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, Shri Ritabrata Banerjee.

367

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, the incident of Jallianwala Bagh massacre of 13th April, 1919 is a gruesome incident of cold-blooded annihilation. Partap Singh Bajwayji mentioned West Bengal, and Swapan da corrected it. Yes, it was actually Bengal because Bengal and Punjab are the two areas which played the most important role in our freedom struggle. I just want to quote Government data. The Minister is here. In one of my questions, I had asked whether it was true that the revolutionaries from Undivided Bengal were the largest contingent in the Andaman Cellular Jail. The answer was that there were 585 revolutionaries in the Cellular Jail. Out of them 398 were from Undivided Bengal and 95 were from Punjab. So you can imagine how Bengal and Punjab had their role in the freedom struggle. Sir, when you were speaking, you already mentioned about that famous letter. I too want to mention about this letter because it is very unfortunate that this letter does not find a proper place of mention in the Memorial. This letter is taught in different universities throughout the world because this letter is treated as the most heart-rending letter of protest. I quote one section of the letter when Tagore was renouncing his Knighthood. I quote, "The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation. I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings." Protests were not being organised. Tagore not only renounced his Knighthood, Tagore himself came down to the streets. I quote the newspaper, The Guardian, "Tagore, the electric philosopher and passionate political activist not only renounced his Knighthood but organised up to six protests in a single day in the city of Calcutta." ... (Time-bell rings)... Sir, I will take half a minute. When Tagore was protesting the Jallianwala Bagh massacre after renouncement of his Knighthood, when he was completing his speech, he said,

> "Chitto jetha bhay-shunno, uchcho jetha shir, Gyan jetha mukto, jetha griher pracheer Apon prangontale dibas-sharbari Bosudhare rakhe nai khando khudro kori."

"Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary [Shri Ritabrata Banerjee]

desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake." I will request the Government that a statue of Tagore must be there at the memorial and this letter must be properly depicted because history, I believe, Sir, they may be forced to rewrite history, because out of 398 people from Bengal, 95 people from Punjab, nobody gave a mercy petition ...(Interruptions)... I am just saying. We just cannot change history. It remains undecided and refuses to change. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, Shri Ramdas Athawale—not present. Before I go to the next speaker, kindly remember that we have to finish this Bill by 4 o' clock. So, only two minutes for Members who are in the 'Others Group'. Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I, on behalf of my party, rise to support this Bill. This Bill rightly removes the President of the Indian National Congress as a Member of the Trustee because there cannot be any political intervention or the President of a political party should be made as a Trustee in a Memorial. Of course, to say precisely, in fact, Congress Party itself is in confusion as to who the President of the Party is. Of course, this is on a different note, and there is an element of confusion. There is nothing. I would like to say that there is only element of confusion. Sir, as has been rightly said, politics should be removed from the National Memorial as the Bill exactly does the same. Sir, Jallianwala Bagh belongs to all, the entire country, irrespective of the communities, caste, creed and religion. It is a part of our national freedom struggle and everyone has got an equal right. Therefore, no single person should be made as a Trustee merely for the reason that he is a President of a political party. Therefore, I support the Bill. Thank you very much for the opportunity you had given to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you very much. Now, Dr. Sudhanshu Trivedi. This is your maiden speech. You will be allotted fifteen minutes' time.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रथम उद्बोधन है और यहां उपस्थित लगभग सभी सदस्य आयु और अनुभव में मुझसे वरिष्ठ हैं, तो मैं सभी का अभिवादन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सरकार ने यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है, इसके दो पक्ष हैं। इसमें एक पक्ष हैं तकनीकी और दूसरा हैं सैद्धांतिक, जिसमें राजनैतिक, ऐतिहासिक सारे विषय समाहित हैं। यदि हम तकनीकी दृष्टि से देखें, तो संशोधन के दो अंग हैं कि किसी भी सदस्य को सरकार कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटा सकती है। मैं पूरी विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि इस देश की समस्त सरकारी और संवैधानिक व्यवस्थाओं में समयाविध पूर्ण होने से पहले हटाने का कोई न कोई प्रावधान अवश्य है, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो अथवा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही क्यों न हो। जब सभी जगह हटाने की व्यवस्था संभव है, तो यह तो एक प्रकार का statutory requirement हो जाता है। इसमें कोई विवाद उठाने का विषय तो मेरे विचार से बनता नहीं है। इसलिए यदि हटाने का प्रावधान है, तो मैं इसे युक्ति सम्मत और विधि सम्मत मानता हूं।

दूसरा विषय यह आता है कि एक राजनैतिक दल के अध्यक्ष को उसमें सदस्य होना चाहिए। अब यदि मैं तकनीकी दृष्टि से कहूं, तो सभी राजनैतिक दल अपने संविधान को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जैसे यहां कई राजनैतिक दल हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, AIADMK है, जहां अध्यक्ष प्रमुख नहीं होता है, जनरल सेक्रेटरी प्रमुख होता है, तो मैं एक hypothetical बात कहता हूं कि कल के दिन कोई पार्टी अपने संविधान में संशोधन कर दे और कह दे कि अब अध्यक्ष नहीं, जनरल सेक्रेटरी होगा, तो अब पार्टी के संशोधन के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि व्यवस्थाएं शास्वत होती हैं। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि यह सदन विरंतन हैं, eternal हैं, perpetuity में काम कर रहा है। दल शाश्वत नहीं होते, दल में बदलाव भी हो सकता हैं, बिखराव भी हो सकता है।

अब मैं दूसरा तकनीकी पक्ष कहना चाहता हूं। भारत के इतिहास में कई बार हुआ है, दलों में विभाजन हुआ है और विभाजन ऐसा हुआ है कि विवाद भी हो गया कि कौन इसका अध्यक्ष माना जाए। मान लीजिए कल के दिन कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब क्या होगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब अपने वर्तमान स्वरूप में आई तो 1978 में देवराज अर्स और कांग्रेस (आई) के रूप में विभाजन हुआ था। बाद में इंदिरा जी सत्ता में आयी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मान ली गयी, परन्तु अगर हम जिलयांवाला बाग के कालखंड से आज तक देखें, तो 100 साल में दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका है। मुझे याद है, एक बार में बचपन में आदरणीय अटल जी का भाषण सुनने गया था, तो उन्होंने बड़े रोचक ढंग से एक बात कही थी कि कांग्रेस में तो इतने घड़े हो गए हैं, कभी कांग्रेस (आर), कभी कांग्रेस (एस), कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू), कांग्रेस (मैं), कांग्रेस (तू), कांग्रेस (आई), कांग्रेस (गई) तो कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या ऐसी स्थिति के लिए हम किसी सरकारी व्यवस्था को स्थापित रख सकते हैं कि जब परिवर्तन होगा, तब हम परिवर्तन करेंगे? यह तो हुआ तकनीकी पक्ष।

अब दूसरी बात हैं, जो इसका सैद्धान्तिक पक्ष है। देखिए, अभी बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जलियांवाला बाग से चिंगारी शुरू हुई थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे कई [डा. सुधांशु त्रिवेदी]

सम्मानित सदस्यों ने यह कहा कि इतिहास में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिलयांवाला बाग में सैंकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी थीं, मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो रक्त बहा था, वह रक्त की जो गंगा बही थीं, वहीं से इस आंदोलन के एक नये स्वरूप की शुरुआत हुई थी। आज यदि हम उसे स्मरण करना चाहूं, तो मैं कहना चाहूंगा,

"उन्मुक्त मरण त्यौहार राष्ट्र का मंगल हो, उत्सर्गीय रक्त फुहार, धवल गंगा जल हो। अब नये क्षितिज हों आस्थाओं से आलोकित, बिलपंथी पर बिलहार राष्ट्र का मंगल हो।"

अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि इतिहास नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जलियांवाला बाग क्यों शुरू हुआ था - रीलेट ऐक्ट के लिए। रीलेट एक्ट क्यों आया था -क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार एक ऐसा ऐक्ट लायी थी कि किसी को भी बगैर मुकदमा चलाये अंदर कर सकते थे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताडना और यातना दी जा सकती थी। अब वह क्यों लाए थे? मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, चाहे जो भी कारण रहा हो, हम उसको दोष नही देते, पर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, भले ही इस प्रत्याशा में किया था कि युद्ध के बाद वह हमें आज़ादी देंगे, परन्तू वह बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि हमारे यहां तो शाश्वत शास्त्रों में कहा गया है, "सठ सन बिनय कृटिल संग प्रीति", यानी दुष्ट के साथ नीति और कृटिल व्यक्ति के साथ विनम्रता उचित नहीं होती। इसीलिए वीर सावरकर ने एक शब्द प्रयोग किया था कि सदग्ण बहुत अच्छा होता है, पर कई बार सदग्ण गलत व्यक्ति के सामने प्रयोग कर दिया जाए, तो वह सद्गुण विकृति हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहुंगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, उससे पहले तो सहयोग चल रहा था और उसके बाद जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस प्रकार का शर्मनाक कांड किया, इस प्रकार की हत्याएं की। अब मैं यहां से कहना चाहुंगा कि एक बिंदू पर ध्यान देना चाहिए कि इतने व्यक्तियों का रक्त बहा, बाजवा साहब ने खुद कहा कि वहां से चिंगारी शुरू हुई, तो अब आगे कभी इतिहास में यह नहीं कहना चाहिए कि बगैर एक भी रक्त की बूंद बहाये हमें आज़ादी मिल गयी। हमें कभी यह नहीं कहना होगा कि बिना खड़ग, ढाल के आज़ादी मिली। गोलियों की बीछार का सामना करते हुए हजारों लोगों ने अपना खून बहाया, तब जाकर आजादी की शुरूआत हुई। इसलिए जब हम न्याय की बात करते हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी से पूर्ण न्याय की बात करें। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, उससे 10 साल पहले और 10 साल बाद के भारत को देखिए कि उसकी क्या स्थिति थी? 1912 में वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था। में केवल 1910 से 1930 के बीच की बात कर रहा हूं। चटगांव में, जो अब बांग्लादेश में चला

गया है, वहां सूर्यसेन जी के द्वारा शद्रागार पर कब्जा कर लिया गया था। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर attack हुआ, लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया गया और लाहौर में असेम्बली में भले ही किसी को मारने का उद्देश्य नही था, जैसा कि अभी बताया गया – bomb फेंका गया। अब आप कल्पना कीजिए कि वाइसराय पर attack, असेम्बली में attack, शस्त्रागार और कोषागार पर कब्जा तो सरकार तो बिलकुल हिल गई होगी, तो क्या उन सारे लोगों का स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं था? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहुंगा कि स्वतंत्रता में सभी ने योगदान दिया है। राजनैतिक आन्दोलन ने भी योगदान दिया है और जिन लोगों ने क्रांति की, उन लोगों ने भी अपना पूरा योगदान दिया। न्याय हो, तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जो लोग जेल में रहे, उनका योगदान है। उनका निश्चित रूप से योगदान है। काँग्रेस के तमाम बड़े नेता जेल में रहे। उनका योगदान अविस्मरणीय है, परन्तु जिन्हें जेल में रहकर पुस्तक लिखने की भी सुविधा और सुख मिला, उनका जितना योगदान है, उससे अधिक योगदान उन लोगों का है, जिन्हें जेल में रहकर प्रताड़ना, यातना सहनी पड़ी और जिन्हें कोल्हू के बैल की तरह पेरा गया। इसलिए मैं कहना चाहुंगा कि जब हम इसकी बात करते हैं कि सारे विचार को हम एक-समान दृष्टि से देखें, तो इस देश के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास रहे, उन सबको आज एक-समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहुंगा कि सरकार ने इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर यह विचार किया है।

महोदय, मैं लाइटर नोट पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने एक बात कही कि कोई पार्टी कभी समाप्त भी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि काँग्रेस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक विभाजन कब हुआ-1969 में। वह दिन क्या था-वह महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष था और 150वें वर्ष तक आते-आते स्थिति दयनीय हो गई। हो सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दूरदृष्टि से देखा था कि भविष्य में कौन कहां पर खड़ा होगा। वह स्थिति समाप्त भी हो सकती है, तो हमें क्या आवश्यकता है उसे यहां पर एक सरकारी व्यवस्था में स्थाई प्रावधान के रूप में बनाकर रखने की?

महोदय, अब मैं एक बात और यह भी कहना चाहूंगा कि अभी यह बात कही गई कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसका क्या योगदान है। मैं पूरी विनम्रता से बात कहना चाहूंगा कि जिलयांवाला बाग का कांड शुरू होने से पहले के कालखंड में कौन-कौन लोग स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 1905 में, लोकमान्य तिलक जी ने जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, तब उनकी बात को कोई स्वीकार करने वाला था? कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, बल्कि उन्हें Right Wing extremists कहा गया था। तब यह कहा गया था कि यह वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन की बात है, तो यह पूर्ण स्वराज्य की बात कहां से आ गई? अंग्रेजों के राज में तो सूरज ही नहीं डूबता है, लेकिन आपने देखा कि 1929 में जाकर लाहौर काँग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी 24 साल लगे, स्वराज्य के तत्व को एकीकार करने में। इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। जिलयांवाला बाग में जिन लोगों ने शहादत दी, जो

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

बड़े-बड़े क्रांतिकारी थे, वे day-one से उसी पूर्ण स्वराज्य के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वे कह रहे थे कि किसी प्रकार का कंसेशन नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण मुक्ति चाहिए।

महोदय, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, इसे कोई अन्यथा न ले। वर्ष 1919 में जिल्यांवाला बाग कांड हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मैं बताना चाहता हूं कि William Edenborn, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे सम्माननीय मित्रों ने जो कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव संचालक हम ही थे, एकमेव रास्ता हमारा था और हमारी व्यवस्था पर हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए, यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता।

महोदय, मेरा यह मानना है कि कभी एक दौर रहा होगा कि वक्त भी हमारा, निज़ाम भी हमारा, काम किसी का भी हो, लेकिन नाम भी हमारा। वह सोचकर रखा गया होगा, परन्तु आज वह सारी व्यवस्था बदल चुकी है। एक नया भारत, नए स्वरूप में सामने आ रहा है। हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। जैसे अभी यहां वर्ष 1951 का उल्लेख किया गया, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहुंगा कि 1 जनवरी, 1901 को, जब इस देश में सूरज उगा, तब इस देश में किस की सरकार थी- अंग्रेजों की सरकार थी। 1 जनवरी, 1951 को जब इस देश में सूरज उगा, तब इस देश में किसकी सरकार थी- पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी और 1 जनवरी, 2001 को जब 21वी सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी, तो इस देश में किस की सरकार थी- श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। इस प्रकार बदलते हुए वक्त, नियति के चक्र और काल के चक्र को भी समझना चाहिए। जैसा कई सम्मानित सदस्यों ने कहा कि कोई व्यवस्था, जो 100 साल पहले थी, वही व्यवस्था आज भी रहेगी, कोई पार्टी जो 100 साल पहले थी, वह अपने मूल रूप में रहेगी, यह संभव नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी का उदाहरण देता हूं। 1977 में जनसंघ के रूप में हमने अपने को तिरोहित कर दिया था, 1977 से 1980 तक हम जनता पार्टी का हिस्सा थे और 1980 में एक नये स्वरूप में सामने आए। पार्टियाँ बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएँ नहीं बदलती। संवैधानिक व्यवस्थाएँ शाश्वत रहती हैं और संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था के ही प्रतीकों का स्थान होना चाहिए, राजनैतिक प्रतीकों का स्थान होना मेरे विचार से कदापि उचित नहीं है। फिर भी, यदि हमारे सम्माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है, किसी भी प्रकार का आग्रह है, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आप सारे पूर्वाग्रह समाप्त करके देखिए, आपको यह भी नज़र आएगा कि इसमें क्रांतिकारी आंदोलन भी था, राजनैतिक आंदोलन भी था। इस देश की पहली आज़ाद सरकार सुभाष चन्द्र बोस जी ने 1943 में बनाई थी, उसका भी योगदान था, 1946 के नौ सेना के विद्रोह का भी योगदान था। चाहे झारखंड में 19वी शताब्दी में शुरू हुए आंदोलनों का योग हो, या नरसिम्हा रेड्डी जी के नेतृत्व में आंध्र में हुए आंदोलनों का योगदान हो, अथवा बंगाल का संन्यासी आंदोलन हो, ये सब तो पार्टियों के स्वजन और गठन से बहुत पहले की भी चीज़ें हैं। इस देश में स्वतंत्रता एक शाश्वत विचार है, जिसने इस देश को कभी गुलाम नहीं होने दिया, इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब हम यह कहते हैं कि We are the youngest nation of the world तो यह सत्य नहीं है। माननीय समापित महोदय, यह अर्धसत्य है, पूर्ण सत्य यह है कि, we are the youngest nation and the oldest civilization. We are the oldest surviving civilization of the ancient world. And, we are the oldest surviving nation of the ancient world. वे सारे के सारे देश समाप्त हो गए, मगर हम अभी तक बचे थे। वह किसलिए था? वह इसलिए था, क्योंकि इस प्रकार की वह शक्ति, जो जलियाँवाला बाग में बलिदान करने वाले हमारे राष्ट्र भक्तों ने दिखाई थी, उसके कारण हम बचे थे। बाकी सारे देश कभी समाप्त हो गए होंगे, परंतु हम बड़े से बड़े अंधकार से भी निकलकर सामने आए इसलिए वह शक्ति किसी एक व्यक्ति की, दल की, विचाराधारा की, किसी समृह का वर्चस्व नहीं हो सकती। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हम क्या थे - अटल जी की किवता की एक पंक्ति है,

"दुनिया का इतिहास पूछता, ग्रीक कहाँ, यूनान कहाँ है? घर-घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है? दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा। तभी चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा।

अंत में मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आप इस चीज़ को बड़े हृदय से देखिए। आप संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन और उनके योगदान को बड़े हृदय से देखिए और किसी भी प्रकार की अदावत की नज़र से मत देखिए। अगर आप देखिए, तो सदाकत की नज़र से देखिए और लियाकत की नज़र से देखिए। अगर आपकी खिलाफत है, तो मैं मानता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर यह जो खिलाफत है, इसका कोई आधार नहीं है। उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध शायर हैं, आप लोगों के भी बड़े लोकप्रिय है, उन्हीं की एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि-

"अगर है खिलाफ़, तो खिलाफ़ होने दो ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है। जो हमारे दिल में है, वही सदाकत है सभी के दिल में आपकी जबान थोड़ी है।"

यह राहत इंदौरी जी का शेर हैं। मैं आखिर में कहूंगा कि जलियांवाला बाग की उस मिट्टी और उसमें पड़े हुए शहीदों के खून को देखकर कहिए-

> "सभी के खून से मिलकर बनी है ये मिट्टी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।"

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the 1919 Jallianwala Bagh massacre, had happened in Amritsar, on a festive day of our Sikh brothers. The Brigadier who had conducted that operation was so brutal not only by his action, but even later also he had given a statement before the Hunter Commission that he could quite possibly disperse the crowd without firing, but they would have come back again, therefore, he did not do that, but fired on them. This is what he said before the Hunter Commission. When asked by the Hunter Commission whether he had made any efforts to attend to the wounded people, he said, "No, I did not because that was not my job". Such was the cruelty shown by Mr. Dyer on the unarmed Indians. But we should not be so cruel by passing this Bill in this august body of Parliament. We should not be cruel like British general to treat this kind of acts and this kind of works.

As per the 1951 Act, the trustees of the Memorial include the Prime Minister of India, as its Chairperson; the President of the Indian National Congress; the Minister-in-Charge of Culture; the Leader of the Opposition in the Lok Sabha; the Governor of Punjab; the Chief Minister of Punjab; and, three eminent persons to be nominated by the Central Government. In this composition, you want to change the President of the Indian National Congress. I would like to know as to why you are making this change. I would like to request the hon. Minister that he should not consider the Indian National Congress as a party. It was an *aandolan*....(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Silence, please.

DR. L. HANUMANTHAIAH: I request the hon. Minister to please listen to me. Sir, this was a Movement. The Congress was a part of that Movement. The Congress led that Movement. The Congress conducted inquiry into the Jallianwala Bagh massacre. They wanted to bring the truth before the country. They wanted to tell the people what the British had done to this country. They had put their heart and soul while fighting against the British. They were not under the British. They were not the agents of the British. They never tendered apology for participating in the Indian National Movement. They were the valiant soldiers who fought for this country, who fought for this brave, great and rich country, who fought for the tradition of this country.

Today, we want to amend this Act saying that the President of the Indian National Congress is not required in this Trust. What are the reasons behind this? The hon. Minister has not given the reasons as to why this change is being made. We do agree that if there is no Leader of the Opposition in the Lok Sabha, the leader of the largest party will be considered as the member of the Trust. That's fine.

Many of the speakers, who spoke before me, have said that the history should not be distorted. Mr. Vice-Chairman, Sir, this Government is in the habit of changing the history by changing the names of the villages, by changing the names of the railway stations, by changing the names of the cities, and by changing the names of the monuments. By doing this, can we change the history? No, it cannot be done, if anybody thinks that by changing the names of the places, we can change the history, it cannot be done. And, it should not be done. That is why I demand, through you, Sir, please don't get into the habit of changing and appropriating the history by fake things and fake incidents. I would like to give one more example along with this. There was a Maharaja called Tipu Sultan in Mysore. He fought against Britishers. He pledged his own sons to Britishers for the country. Once when the BJP came to power, they said that he was anti-India, he was Britishers' agent and he was not a real king who fought against the Britishers. When the same leaders came out of the BJP, they then said, "He was the great son of India who fought against the Britishers. This kind of changing of history should not be done. That is not going to add anything to the heritage of this country and the legacy of this country.

I would like to ask one more question. You nominate the members to this Trust, and by this amendment, you want to remove them without giving any reason. Why is that? Why do you want to do so? I want to say that if that is the case, then the real intention with which this Trust has been made will not survive. That you are going to change the members to the whims and fancies of the Government will, definitely, not give a good message to the country, ... (Time-bell rings)... Sir, again, I want to say on the point that the Indian National Congress President is not a member as he is the President of a political party. They had a big legacy to this incident and to the history of this country. The history of this country cannot be written without the history of the Congress.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No time left to discuss history. Please conclude.

DR. L. HANUMANTHAIAH: So, I want to say, please don't interfere in the culture. Changing the culture, changing the incidents, creating the incidents and creating a new history by people who are not historians cannot be accepted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Okay.

DR. L. HANUMANTHAIAH: So, please take back this Bill. Let it be as it is or, at least, refer this Bill to the Standing Committee for scrutiny. Thank you.

श्री विश्वजीत देमारी (असम): थेंक यू, सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं हमारे मंत्री जी और सरकार का ध्यान दूसरी तरफ, असम राज्य की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे असम में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जिनको जिलयांवाला बाग नेशनल मेमोरियल जेसी किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत लाने की जरूरत है। असम में प्रथम बार भारत स्वाधीनता संग्राम में 1883 में Sambhudhan Phonglo नाम के व्यक्ति ने Cachar में बिटिशर्स के against लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वे शहीद हो गए। इनके अलावा असम में Shri Maniram Dewan, Smt. Kanaklata ji, Shri Maniram Kachary, Lerela Kachary जैसे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, जो वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम करते हुए शहीद हुए। इन सबके नाम को भी जीवित रखने की जरूरत है।

दूसरी तरफ, महाभारत में हमारा जो इतिहास बताया गया है, उसके बारे में तो शायद सभी को पता होगा। श्री कृष्ण जी ने जहां बाणासुर का वध करने के लिए हरिहर का युद्ध किया था, वह स्थान असम का Tezpur था। वहां अभी भी उस इतिहास का चिहन और उसका टूटा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी जगह पर बाणासुर को मारने के लिए श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे आज के समय में एटम बम कहा जा सकता है। वहां हमारी प्राचीन सभ्यता की बहुत सारी निशानियां हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हमें जीवित रखना चाहिए। Archaeological Department उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए इतनी इम्पॉर्टेट चीज़ें आज कही किसी रास्ते पर या किसी गार्डन में लगा कर रखी हुई हैं। इसके साथ भागदत्त ने महाभारत में जो युद्ध किया था, यह सभी को पता है, वह भी असम से थे। प्राग्ज्योतिषपुर, गुवाहाटी में भागदत्त के पिता नरकासुर ने जो कामाख्या देवी का मन्दिर बनाया था,

(श्री उपसभापति पीटासीन हुए)

वह कामाख्या देवी का मन्दिर आज प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी बहुत सारी टूटी-फूटी चीज़ें हैं, जिनके लिए एक म्यूजियम बनाने या उसी जगह पर उनका प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। इसके बाद वहाँ के जो कछारी किंगडम के दीमापुर में, कासपुर में और अभी जो गोलाघाट के, कछारी बारी जगह है, वहाँ पर भी एक साल पहले मिला हुआ है, इसको भी हम लोग कैंसे जीवित रख सकते हैं, उसे सोचना है, क्योंकि यह हमारे भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक सभ्यता है। इसी तरह से जो हमारे असम में है, नॉर्थ-ईस्ट में है, इसका भी संरक्षण करने के लिए, उस सभ्यता को जीवित रखने के लिए कुछ किया जाए, तािक लोग वहाँ जा सकें, देख सकें और अपनी खुद की जो मातृभूमि है, उसको याद कर सकें। इसका जो सम्बन्ध है with India, जो महाभारत काल में था, उसका वही एक एविडेंस है। नॉर्थ-ईस्ट और भारत के बाकी अंग सब एक हैं, उसका यह एविडेंस है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बिश्वजीत जी, कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)... आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वजीत देमारी: तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मंत्री साहब कुछ जिम्मेदारी लें और काम करें, धन्यवाद।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

> "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।"

मान्यवर, ये लाइनें हम लोग दोहराते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आज हम जिलयांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी शहीद उधम सिंह जी का नाम इस सदन में लिया गया, बार-बार लिया गया। लेकिन साथ ही साथ जब शहीद उधम सिंह जी का नाम लिया गया, तो एक दुखदायी खबर की ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। शहीद उधम सिंह के पौत्र गुरदेव सिंह जी किसान थे। उनके ऊपर 20 लाख का कर्जा था। इसके कारण 16 जनवरी, 2018 को उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये कौन सी नीतियाँ हैं, ये कौन सी योजनाएँ हैं कि हमारे शहीदों के परिवार के लोग आज आज़ादी के इतने सालों के बाद आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है। आप मेमोरियल ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें बदलाव कर लीजिए, उसमें करोड़ों रुपये खर्च कर लीजिए, लेकिन जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहूति इस देश के लिए दी हैं, उनके परिवारों का भी ध्यान रखिए, उनके लिए भी कोई योजना और नीति बनाइए।

मान्यवर, जब हम जिलयांवाला बाग कांड को याद करते हैं, तो अंग्रेज़ों के अत्याचार को याद करते हैं, उनके जुल्म को याद करते हैं, उनकी ज्यादितयों को याद करते हैं और हजारों लोग जो वहाँ मारे गये, उनको याद करते हैं, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर क्या हो रहा

4.00 р.м.

[श्री संजय सिंह]

है? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन है वह जनरल डायर, जो कल शिशमूषण पांडे नामक एक नेत्रहीन लड़के को अपने जूते से मारता है, लाठियों से पीटता है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन है वह जनरल डायर? जेएनयू के छात्रों को पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के माध्यम से पिटवाया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ...(ब्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी आप इस विषय पर बोलें। ...(व्यवधान)... जब उस विषय पर चर्चा होगी, तब बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: यह हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी आप इस विषय पर बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, यहाँ पर माँग भी की गयी कि जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे शहीदों के परिवार हैं, खास तौर से जिलयांवाला बाग कांड से सम्बन्धित, उनके हित के लिए आप एक योजना बनाइए। ...(समय की घंटी)... कहा यह गया कि उस सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न नहीं दिया, डा. अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, शहीद-ए-आजम भगत सिंह को भारत रत्न नहीं दिया। पिछली सरकार ने जो गलती की थी, वे तो 55 पर आ गये। उस गलती को आप सुधार दीजिए। आप शहीद-ए-आजम भगत सिंह को भारत रत्न देकर दिखाइए। आप शहीद-ए-आजम भगत सिंह को भारत रत्न दीजिए। आप उन वीर सपूतों को सम्मान दीजिए। जो काम काँग्रेस नहीं कर पायी, उसको आप करके दिखाइए। यह आलोचना, निन्दा और राजनीति शहीदों के विषय में करना उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह माँग करूँगा कि इस मेमोरियल ट्रस्ट में जो भी बदलाव करना है, कीजिए, लेकिन जिलयांवाला बाग कांड में जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवारों का भी ख्याल रखिए, उनके लिए भी कोई योजना और नीति लेकर आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Respected Deputy Chairman, Sir, thank you very much. The very pronouncement of Jallianwala Bagh electrifies the veins of the revolutionary-minded people. It was a *baisakhi* day. A congregation of people was there, not only to celebrate *baisakhi* but also to protest in a peaceful manner against the deportation of Satyapal and Saifuddin. At that time, a blood-thirsty maniac, General Dyer, Reginald Dyer— he was not even a General, he was a Colonel — entered there with his troops, blocked the small entrances and the main entrance and ordered shooting. He ordered, 'Shoot, shoot, shoot! Shoot till the last bullet is finished!' Blood

flowed here and there. People who tried to escape by climbing the walls were shot down. The worst tragedy was at the well where more than 60 people got killed. The great Rabindranath Tagore threw away the Knighthood given to him. A small boy entered the place and brought in ajar with blood-soaked sand and told his sister. 'This is our idol and we must worship this'. That was none other than Bhagat Singh. After 21 years, Uddham Singh took revenge for the same on the very same day, 13th March, 1940. He knew that death awaited him, like Jose Rizal of Phillipines and the Rollent Emmel of Ireland. He said, The cool grave is awaiting me. Death is my garland. I am very happy to wear the garland of death for the country.'

Sir, before I conclude, let me say one thing. This is the House of Elders. We cannot change the history. The Freedom Movement was fought by the great National Congress leaders. Pandit Jawaharlal Nehru went there and there was word that Mahatma Gandhi was about to enter the place. Sir, removing the name of the President of the Indian National Congress shows the petty-mindedness of the Government. Therefore, I would make a request. I respect you. I don't belong to the Congress, but I come from a Congress family and movement. The President of the Indian National Congress should find a place in the Trust. Only then history would be justified. Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपसमापित महोदय, मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, सत्ता प्रतिष्ठान किन्हीं का भी रहा हो, 36 का आंकड़ा रहा है, उनके ब्लॉग पर एक बैनर हैं - शौक-ए-दीदार हैं तो नजर पैदा कर लो। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यह आग्रह होगा कि दो विकल्प होते हैं, एक विकल्प है, learn to associate with the legacy और दूसरा विकल्प होता है, learn to appropriate the legacy. सर, एक बेहतर स्वस्थ मुल्क बनाने के लिए यह जरूरी है। हममें से कई दलों का स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, लेकिन यह एहसास-ए-कमतरी में तब्दील नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से appropriation की भावना नहीं आनी चाहिए। माननीय उपसभापित महोदय, यह मेरा पहला आग्रह आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से हैं।

सर, मेरा दूसरा एक आग्रह है और वह यह है कि रौलेट एक्ट और जिलयांवाला को अलग-अलग करके नहीं देख जा सकता। अगर आज भी हमारे मुल्क में Rowlatt Act की तरह व्यवस्थाएं हैं, तो सच पूछिए सर, मैं ईमानदारी से सदन में कह रहा हूँ कि हममें से कइयों को फर्क नज़र नहीं आ रहा हैं, वहीं दमन, वहीं उत्पीड़न। तो एक श्रद्धांजिल देने के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारी पूरी कोशिश हो कि Rowlatt Act तरह की व्यवस्था की हमारी डेमोक्रेसी को कोई जरूरत नहीं है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी? मैंने बहुत करीब से देखा कि यह अमेंडमेंड मूल संरचना का अमेंडमेंट है। सर, बीते दिनों में हमारी पॉलिटिक्स [प्रो. मनोज कुमार झा]

380

की दिक्कत रही हैं कि हम संरचनाओं पर ज्यादा जोर देते हैं और प्रक्रियाओं पर, पद्धितयों पर हमारा जोर ही नहीं होता है। सर, मैं खुद जिल्यांवाला बाग गया हूँ। यहाँ कई सदस्यों ने कहा कि जिल्यांवाला बाग को हमने टर्निंग प्वाइंट माना, लेकिन उस जिल्यांवाला बाग के लिए हममें से कोई यह बात नहीं कर रहा है कि हम इस मेमोरियल को इतना ऊपर कैसे ले जाएं, जिससे लेफ्ट, राइट और सेंटर को बराबर मात्रा में उसका स्वाद मिले और हम उन values को imbibe कर पाएं? My final argument to the hon. Minister is that no national heritage, no national memory should be subjected to political partisanship. You know why. Today you are there; tomorrow, you may not be there. Maybe tomorrow also, you are there; day after tomorrow, there is no guarantee. But if we begin this process of decimating what was there earlier and go in for creating something new, then, when they come or some others come, they will decimate. In the process, what suffers? The national memory suffers which is the collective memory and, thankfully, collective memory is not collated memory.

"न इंतजार करो उनका ऐ अजा-दारो, शहीद जाते हैं जन्नत. को घर नही आते।"

श्री राजाराम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जलियांवाला बाग इतिहास में ऐसी घटना है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उस घटना को 2019 में सी वर्ष पूरे हुए हैं। वहाँ एक शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और उसमें जिस तरह से भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसकी जितनी निंदा की जाए, वह आज भी कम है। मैं एक-दो बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। इसकी धारा-4 की उपधारा-1 के खंड-छः में प्रावधान किया गया है कि जो नामित सदस्य होंगे, ट्रस्टीज़ होंगे, उनको केंद्र सरकार बिना कारण बताए हटा सकती है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हटाने का प्रावधान सभी के लिए है, चाहे वह राष्ट्रपति जी हों, लेकिन में कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक procedure है और यहाँ आप बिना कारण बताए हटाएंगे। मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति है, इसे देखना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी साथी पर यह नियम लागू कर देंगे, तो वह स्वयं को बचाने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेगा। अगर उसे repeat होना है या बचना है, तो वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा। वह स्वयं को बचाने के लिए या दोबारा ट्रस्टी बनने के लिए काम करेगा, तो वहाँ निष्पक्ष तरीके से काम नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ लास्ट में में यह कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी बहुत-से काम हैं, आज देश के जो हालात हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए। ये लोग हमें आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए, लेकिन

अब जब हम आज़ाद हैं, तो आज उनकी इस देश में क्या स्थिति हो, इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। उनको पता नहीं आप किस-किस नाम से मार रहे हैं? कम से कम उनकी रक्षा होनी चाहिए।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity. This Bill has been brought by the Government for a very brief reason to nominate the leader of the single largest party instead of a particular Party President. It is a national monument. History is there. As far as the history is concerned, the Party which played an important and significant role at that time should not be ignored. For that purpose, certain steps have to be taken by the Government apart from making these Amendments. I urge the Government to show the magnanimity in recognizing the history and the role played by the party at that time. In order to recognize the martyrs, I am making a few suggestions with regard to that. Number one is, as some of the Members have also pointed out, the museum has not been properly maintained: maintain the site as it is and it was. Another suggestion is that the statues of Udham Singh, Bhagat Singh and other martyrs have to be placed there. The names of the martyrs also to be displayed there; there are so many martyrs in the massacre. The family members of the martyrs also have to be given the status of freedom fighters including free education, etc. One of the family members of martyrs, have to be included in the Trust. Likewise, the elected Member from that area has to be included in that Trust. In order to maintain the decency and decorum of the national monument, these steps have to be taken. And, ultimately, the Government shall ensure, irrespective of this Amendment, to give respect and pay homage to the martyrs who have sacrificed their lives in that Bagh. Thank you, Sir, for giving the opportunity.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, today remembering the heroes of Jallianwala Bagh, we look back to the history. Our thoughts should go to the great saga of the struggle. Our freedom struggle was a great struggle, in which various streams fought together, in those streams, nobody can deny the stream represented by the Congress Party. Sir, I differ with the Congress on many political points, but still the great role played by Mahatma Gandhi, Nehru and the Congress is undeniable. Not only Congress, there are so many forces, that of the Communists or socialists, or the so-called terrorists, all of them fought for the country's freedom. All these forces, all these streams came together and we fought the Britishers to go away from this land, and our freedom was attained. But I should say that there is one stream, one *vichardhara*, which was not

[Shri Binoy Viswam]

there in this struggle. That *vichardhara* keeps on stating that they are not for politics. They say that they are a cultural organization. So, they have nothing with the political struggle and freedom struggle; they kept away. Today, that *vichardhara* is coming to the scene to appropriate whatever this great country has achieved from its freedom struggle and the great culture and ethos. That is why, this Bill has come today. It is a very, very wrong step to re-write the history. History can't be dealt with like that. I can see today Rowiatt Act is still alive in the form of UAPA. In the form of AFSPA, it is still alive in this country. Sir, I could see General Dyer yesterday on the streets of Delhi. General Dyer, his ghost, came to Delhi to shoot at the innocents students of the JNU.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Come to the subject.

SHRI BINOY VISWAM: This is the same subject.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is another subject.

SHRI BINOY VISWAM: There is a. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not talking about JNU, let us discuss the Bill. When that topic will come, then we will discuss.

SHRI BINOY VISWAM: Okay; on this subject, I would say that history should be respected by all means. Why did Congress President come on the scene in that Trustee Board? It is because it is the Congress Party, before Independence, collected money and they built the Memorial. That is why their President is there. Now, a new party has come. I have respect for all of you, but your party, your ideology did nothing for the country's freedom. That is why, sometimes, you believe that Godse is more patriotic than Mahatma Gandhi. From there starts the trouble. Gandhiji is Gandhiji and Godse is Godse.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: With these words, I conclude.

डा. सत्यनारायण जिटया (मध्य प्रदेश): उपसभापित जी, जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं, वह तो प्रबंधन का विषय है। न्यास का क्या होना चाहिए, न्यास तो न्यास जैसा होना चाहिए। प्रबंधन का काम अच्छा करना चाहिए। इसलिए न्यास पर कौन आता है, उसके लिए वह क्या

करता है, उसका समर्पण कितना है, उसके प्रति श्रद्धा है भी या नहीं है, इन सारी बातों पर विचार करना ज़रूरी होता है। अंग्रेज़ों का अत्याचार चरम पर था और रॉलैट एक्ट के कारण से उसका विरोध किया जा रहा था, उस ज़माने में सारे देश भर में विरोध तीव्र हो गया। अंग्रेजों के समय में जब विरोध तीव्र हो गया तो अमृतसर में दो बड़े नेता थे, डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल मिलक, जिनके नेतृत्व में वह सब चल रहा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरोध करने की दृष्टि से जिलयांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। जिलयांवाला बाग जो है, महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में एक जागीरदार हुआ करते थे, और उन्ही जागीरदार और सेवाओं के कारण से, जिनका नाम हिम्मत सिंह था, उन्हीं के फतेहगण साहिब जिला में जल्लावाला गाँव हुआ करता था, तो वह ज़मीन उनकी थी, इसलिए उसका नाम जिलयांवाला बाग रखा गया। मोटे तौर पर अंग्रेजों के ज़माने में जो अत्याचार हुए हैं और जिस तरह से निश्चित रूप से माइकल ओ' डायर जैसे गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने जो अत्याचार किया, उसका प्रतिकार करने के लिए ये बातें थी। अंग्रेज उस ज़माने में थे। हमने ऐसे अत्याचार हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद भी देखे हैं और आपातकाल में लाखों लोगों को जेल में बन्द करने वाले कौन लोग थे, यह भी सोचने वाली बात है। लोक नायक जय प्रकाश जी के लोकतंत्र को ज़िन्दा रखने के लिए,

"कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, जय प्रकाश का बिगुल बजा, तो जाग उठी तरुणाई है।"

इस नारे को लेकर लाखों लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे बन्द करने वाले कौन लोग थे? जो सत्ता में होते हैं, उनकी सत्ता को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता के लोग रहे थे, जो उधम सिंह रहे हैं- उधम सिंह तो एक तरह से अनाथ थे और अनाथालय में जिनका पालन-पोषण हो रहा था, उन्होंने उस घटना को साक्षात रूप से देखा था। उसके मन में इस तरह से विद्रोह जगा कि मैं इसका बदला ज़रूर लूंगा। बदला लेने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय किए और वर्ष 1934 में लंदन में जाकर, जहां माइकल ओ' डायर थे- यह समझा जाता है कि उन्होंने उनके परिवार में जाकर ड्राइवर का काम किया और सारी बातों को समझा। लंदन के कैक्सटन हॉल में सेंट्रल सोसायटी के द्वारा जब उनका स्वागत किया जाना था, तो 13 मार्च, 1940 को उस अत्याचार करने वाले व्यक्ति को पिस्टल से समाप्त कर दिया और भगत सिंह असेम्बली में खड़े रहे, क्योंकि भगत सिंह उनके आदर्श हुआ करते थे। वे भी वही पर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैंने उस अत्याचार का बदला लिया। जिसने 21 बरस तक प्रतीक्षा की हो, इस प्रकार के उधम सिंह जी, जो देश में बहुत कम जाने जाते हैं, उनके प्रति इस मंत्रालय ने जिस प्रकार की शुरुआत की है और जित्यांवाला बाग को जिस प्रकार का एक नया स्वरूप दिया गया है, निश्चित रूप से नई संरचना से नए काम को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें व्यवस्था की दृष्टि से जो जुड़ जाता है, वह

[डा. सत्यनारायण जटिया]

जुड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को छोड़ दिया गया है। इसलिए जो चाहे, वह अपने सुझाव दे। मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह से, जिस प्रकार से आज उनका सम्मान है, जो आज देश में रह नहीं गए हैं, उसी प्रकार से आपातकाल में जो लोकतंत्र के सेनानी थे, जिनको बिना कारण से जेलों में बन्द कर दिया गया था और जिनके परिवार तबाह हो गए थे, केन्द्र सरकार उनको भी तवज्जो देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का काम करे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ भी तवज्जो देने का काम करे।

ज़ुल्म जब-जब भी बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफान आता है। लहरें मचल उउती हैं, किनारे टूट जाते हैं।।

और ज़ुल्म और ज़ालिम के खिलाफ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है और इसलिए अच्छी व्यवस्था हो रही है, उसका समर्थन करने की आवश्यकता है। उधम सिंह जी के प्रति मैं कहना चाहूंगा,

"सरफरोशाने-वतन तुम पर वतन को नाज़ हैं खुन से सीचा हैं जिसको, उस चमन पर नाज़ हैं।"

तो ऐसे हमारे जो शहीद हैं, उनको स्मरण करना चाहिए और जिस प्रकार इनके परिवारों की आर्थिक विसंगतियां हैं, निश्चित रूप से उनकी तलाश करके उन परिवारों की मदद करनी चाहिए।

> "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजू-ए-कातिल में है?"...(समय की घंटी)... "अब न पिछले वलवले हैं और न अरमानों की मीड़, एक तमन्ना-ए-शहादत अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।"

ऐसे सरफरोशाने-वतन लोगों का सम्मान करने के लिए जो बात की जा रही है, जिलयांवाला बाग के बारे में जो बात कही जा रही है और सरकार जो प्रस्ताव लाई है, उसका समर्थन करते हुए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि उसकी व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए और देश में शहीदों का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से जो भी काम करना चाहिए, वह सरकार करे, धन्यवाद।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: धन्यवाद, उपसभापित महोदय। मैं पहले सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री सुखेन्दु शेखर राय जी, श्री एस. मुत्तुकरुप्पन जी, प्रो. राम गोपाल यादव जी, श्री प्रसन्न आचार्य जी, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह, श्री के.के. रागेश जी, श्री तिरुची शिवा जी, श्री स्वप्न दासगुप्ता जी, सरदार बलविंदर सिंह भुंडर जी, श्री रीताब्रता बनर्जी जी, श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी, डा.

सुधांशु त्रिवेदी जी, डा. एल. हनुमंतय्या जी, श्री बिश्वजीत दैमारी जी, श्री संजय सिंह जी, श्री वाइको जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, श्री राजाराम जी, श्री के. रविन्द्रकुमार जी, श्री बिनोय विस्वम जी और डा. सत्यनारायण जटिया जी। मैं सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए ह्दय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता था कि 100 वर्ष पूरे होने के बाद हम पूरी तरह से इसमें राजनीति छोड़कर राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। इतिहास कोई बदलना नहीं चाहता है। कुछ लोगों को यह आदत सी पड़ गई है कि वे शायद यह कहकर लोगों को गुमराह कर लेंगे, लेकिन उसमें भी वे शायद विफल रहे हैं। मैं फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि जो चीज़ें में कहूंगा और जो अपेक्षा मुझे आपसे थी, अगर शायद आप करते, तो मैं मानता कि वास्तव में आप इतिहास के साथ न्याय कर रहे हैं। संशोधन ऐसे नहीं हैं, बाकी संशोधनों से आप असहमत नहीं हैं। सदन की परिस्थिति के आधार पर अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, तो विरोधी दल का जो सबसे बड़े ग्रुप का नेता होगा, वह उसका सदस्य होगा। इससे आप सहमत हैं। आपको सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को क्यों हटाया? मुझे लगता है कि अगर इस बात के लिए यह बहस है, तो शायद यह गलत दिशा की बहस थी। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अच्छे इतिहास की चर्चा की और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने श्री रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की घटना का उल्लेख किया। ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतिहास को हम अपनी सुविधा से देखें और कह दें, तो यह फिर आप पर भी लागू होता है। आप जब उंगली हमारी तरफ उठाते हैं, तो फिर आपको भी तय करना पडेगा।

सभापित महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ में जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की है, उनकी पार्टी के सदस्यों से पूछता हूं कि सब को पता है कि ट्रस्ट वर्ष 1951 में बना, लेकिन सबसे पहला ट्रस्ट वर्ष 1920 में बना। 1920 से लेकर 1951 तक की चर्चा आपने नहीं की। मोतीलाल नेहरू जी के योगदान के बारे में आपने कहा, लेकिन जनता के योगदान को आपने स्वीकार नहीं किया। उस समय पार्टी ने पैसा नहीं दिया, यह आपको बोलना चाहिए। अगर 1951 से लेकर आज तक की आप बात करते हैं, तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने किसी चैक से जिलयांवाला बाग के स्मारक के लिए क्या कभी पैसा दिया। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके कितने अध्यक्ष वहां पर गए और किसने अध्यक्षता की है, जरा इस संबंध में दस्तावेज बता दीजिए। सरकार में आप रहे, हम तो सरकार में अभी आए हैं। जब यह परिवर्तन हो रहा था, तो मैं रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूं कि देश के सामने कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। किसी की मंशा खराब नहीं है। आप कितने गंभीर थे, इसका प्रमाण ये कागज ही हैं। ये आपके ही दिए हुए कागज हैं और आपके ही किए हुए काम हैं।

उपसभापति महोदय, जब ट्रस्ट बना, तो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी उसमें आजीवन न्यासी के रूप में नियुक्त हुए, प्रधान मंत्री के नाते नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखा गया है, उसमें प्रधान मंत्री नहीं लिखा है। दूसरे थे, आदरणीय सैफुद्दीन किचलू जी। वे भी आजीवन [श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

न्यासी थे। तीसरे आजीवन न्यासी थे, आदरणीय मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इसमें कोई designation नहीं है। ये तीनों लोग आजीवन न्यासी थे। चौथा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का आता है। पांचवां - पंजाब के राज्यपाल, छटा - पंजाब राज्य के मुख्य मंत्री और केंद्र द्वारा नाम-निर्देशित तीन व्यक्ति। यह 195 का ट्रस्ट है। एक बंधु सरदार पटेल जी का नाम ले रहे थे, शायद उनकी जानकारी सही नही थी। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू का 27.05.1964 को निधन हो गया था, सैफुद्दीन किचलू जी का निधन 09.10.1963 को हो गया, मौलाना अबूल कलाम आजाद साहब का निधन 22.02.1958 को हो गया और पद रिक्त हो गया और आपने किसी की नियुक्ति नहीं की। 1963 में किचलू साहब का निधन हो गया, आपने किसी की नियुक्ति नहीं की। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे, आपने किसी की नियुक्ति नहीं की। मैं पूछता हूं कि आप इस ट्रस्ट के लिए कितने गंभीर थे? मैं नही जानना चाहता हूं कि क्या किया और क्या नहीं किया। यह तो आजादी के बाद सबने देखा है। हम लोग जब पढ़ते थे और छात्र राजनीति में आए थे, तब पहली बार वहां गए थे। सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि राजनीति में आने के पहले उस पर जलियांवाला बाग की घटना का असर नहीं था। सभी ने उधम सिंह जी की चर्चा की है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसके संबंध में कितने गंभीर थे? एक पत्र मेरे पास है, 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधान मंत्री थी, उन्होंने प्रधान मंत्री के नाते एक बैठक की अध्यक्षता की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस पूरे ट्रस्ट में प्रधान मंत्री का नाम कहां है? ट्रस्ट को मजाक किसने बनाया? ट्रस्ट के नियमों और कानूनों के साथ किसने खिलवाड़ किया? पीछे के bench से प्रक्रिया की बात कही जा रही थी कि हमने प्रक्रियाओं पर चिंता नहीं की। झा साहब, अगर आपने पढ़ा होता, तो आपको इस बात पर दर्द होता। अगर आप प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इस ट्रस्ट की प्रक्रिया कहां है? न रजिस्टर है, न रिकॉर्ड है और जो रिकॉर्ड है वह सिर्फ एक पन्ने का है। श्रीमती गांधी जी काँग्रेस के अध्यक्ष ने नाते नहीं थी, उस समय वह प्रधान मंत्री थी और काँग्रेस के अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम थे। उनको अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं मिला, अध्यक्षता श्रीमती गांधी जी ने की। मेरा दूसरा सवाल है कि श्रीमती गांधी जी किस हैसियत से इस ट्रस्ट की सदस्य थी। इसका रिकॉर्ड नही है और यह रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। हमने रिकॉर्ड खंगाला, पर हमें तो नही मिला। सरकारी दस्तावेज में ऐसा कोई कागज नहीं है कि श्रीमती गांधी इस ट्रस्ट की सदस्य कैसे बनी। यह मैंने देख लिया, पर मुझे नहीं मिला। मैंने खूब कोशिश की कि मुझे कार्यवाही का कोई हिस्सा मिल जाए, ताकि मैं सदन को बता सकूं।

दूसरी बात में बताना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी जी ने जो बैठक की थी उसकी तारीख थी - 19.02.1970 और जो दूसरी बैठक हुई, जिसका रिकॉर्ड मिलता है वह है 07.08.1998. इसकी अध्यक्षता किसने की - उस समय की तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। देश का प्रधान मंत्री कौन था - श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। उसके पहले भी प्रधान मंत्री हुए, गुजराल साहब हुए, देवेगौड़ा जी हुए, वी.पी सिंह जी हुए। मैं सबके नाम नहीं लेना

नहीं चाहता, लेकिन मैं उस समय के दौर की बात कर रहा हूं, उसके निकट 1998 के थोड़े आजू-बाजू जाइए, लेकिन नहीं, तो मैं पूछता हूं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ट्रस्ट का अध्यक्ष था, क्या 1951 से लेकर जो भी ट्रस्ट के नियम, कानून और कायदे बने, जो कार्यप्रणाली उसके लिए चली, बनी या स्थापित हुई, उसमें आपने तय किया कि प्रधान मंत्री अध्यक्ष होंगे या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वे अध्यक्ष होंगे? उपसभापति महोदय, ऐसा तय नहीं हुआ। यह परिस्थिति अचानक नहीं बनी हैं, यह बड़ी गलतफहमी हैं। आप जो देश को बता रहे हैं, यह अच्छा नहीं है, बिल्क इसका राजनीतिकरण वास्तव में खत्म हो रहा है। मैं देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद दुंगा कि 100 वर्ष के बाद संस्थान को पहली बार हक मिल रहा है, अगर कोई हक उस संस्थान को मिल रहा है, तो वह अब मिलने जा रहा है। हमने बड़ा मन किया है। लोग कह रहे थे कि बड़ा मन करना चाहिए। साहब, हमने बड़ा मन किया है, इसे व्यक्तियों से हटाकर ठीक किया है। इस ट्रस्ट के सदस्यों को या तो जनता चुने, उनको स्थान मिलना चाहिए या आम आदमी को स्थान मिलना चाहिए। मैं उन तमाम सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि शहीदी परिवार के सदस्य ट्रस्ट में होने चाहिए। मैं इसका जरूर अभिनंदन करूंगा कि यह बिल्कुल सही कदम है। लेकिन यह कहना कि साहब, हमारे साथ तो बड़ा राग-द्वेष हो रहा है राग-द्वेष हम नहीं कर रहे हैं। इस संस्थान के प्रति अगर कही अमर्यादा हुई है, अगर में चाहता तो में आपको उसका पूरा हिसाब बता सकता हूं। मैंने वह कागज निकाले थे कि मोतीलाल नेहरू जी से लेकर कब-कब पैसा दिया, किसने दिया? उपसभापति महोदय, उसमें किसने धन दिया, किसने खरीदा, उसके बाद मैंने यह बात कही है। हमने यह भी पता किया कि कब, कौन आया? मुझे सदन में कहना नहीं चाहिए उपराष्ट्रपति महोदय गए थे, जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे। क्या आप शामिल हुए? नहीं, आप अलग से गए? क्या वह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था? यह कहना अच्छा नहीं है वह भी उच्च सदन में। कोई पार्टी का नेता नहीं गया, हमने राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं रखा है। अगर हमने किसी पार्टी के अध्यक्ष को रखा होता, तब आप हम पर राजनीतिकरण का आरोप लगाते, तो बात समझ में आती। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम अपनी पार्टी के अध्यक्ष को उसमें रख रहे हैं। शायद आपको जानकारी है नहीं, आपने कहा कि उसमें वहां के सांसद को होना चाहिए। उसमें वे हैं। उसकी एक कमेटी है, जो वहां के संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें वहां पर एक्स गवर्नर आर. एल. भाटिया साहब हैं, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, अमृतसर हैं, उसमें दोनों एम.एल.एज़ हैं, वहां के मेयर हैं, पंजाब के कल्चर मिनिस्टर हैं, वे उसके सदस्य हैं, डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर उसके सदस्य हैं, एस.के. मूखर्जी, जो वहां के सेक्रेटरी हैं, वे उसके मेम्बर सक्रेटरी हैं। आपने तो एक सदस्य मांगा था, हमने तो पांच सदस्य दिए हैं, आप कैसी बात करते हो? आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि इसमें हुआ क्या है? मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद में जो व्यवस्थाएं बदली, उनमें हमने भेदभाव नहीं किया। आज भी जो डेजिय्नेशन है, उस डेज़िग्नेशन में आपकी उपस्थिति नहीं है क्या? अगर उसमें यह लिखा है कि सदन में सबसे बड़ी पार्टी का, विरोधी पार्टी का नेता होगा, तो वह तो आप ही होंगे। पंजाब के मुख्य मंत्री SEA. - 55-5009

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल] तो आपके ही हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमने आपके साथ में भेदभाव किया है? मुझे लगता है कि जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उनको मूर्त रूप देने के संबंध में कोई ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इस सदन ने, इस संसद ने 2006 में इस न्यास को बदला था, तब आपने प्रधान मंत्री को अध्यक्ष बनाया। अच्छा होता, आप कहते कि डा. मनमोहन सिंह जी ने 30 साल में इस कमेटी की इतनी अध्यक्षता की है, एक भी उदाहरण कांग्रेस की तरफ से आता, तो अच्छा रहता। डा. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, 2006 में आपने अपना विधान बदल दिया, ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधान मंत्री को बना दिया। आप दस्तावेज रखते कि हमने प्रधान मंत्री डा० मनमोहन सिंह जी से इसकी अध्यक्षता कराई है। आप इस बारे में कुछ नहीं बोल पाये। आप क्षमा करिए, अगर मैं आपसे हिसाब पूछूं कि कितने काँग्रेस के अध्यक्ष जलियांवाला बाग में मत्था टेकने के लिए गए, तो आप बता नहीं पायेंगे, शर्मिंदगी मुझे नहीं होगी, शर्मिंदगी आपको होगी। इसलिए ऐसे विषयों पर ऐसे स्तर पर नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि कही न कहीं जो चीज़ें आपने रिकार्ड में तय की, 2005 से 2010 तक आपने जिनको सदस्य बनाया, उसमें एक गुजराल साहब हैं, पद्मभूषण सरदार उमराव सिंह जी हैं और वीरेन्द्र कटारिया जी हैं, जो उस समय पूर्व सांसद थे, उनको मेम्बर बनाया। जब गुजराल साहब प्रधान मंत्री थे, तब वे इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे, लेकिन जब वे पूर्व प्रधान मंत्री हो गए, तो वे उस ट्रस्ट के सदस्य हो गए। अब मुझे यह लगता है कि अपनी सुविधा से किसी संस्था को चलाना या उस चीज़ को हम अपनी मज़ी से चलाएंगे, इससे ज्यादा बुरा और कोई दूसरा उदाहरण शायद भविष्य के लिए नहीं हो सकता है।

उपसभापित महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाकी भी जो नाम हैं - उसके बाद जो दूसरा टर्म 2013 से लेकर 2018 तक था। आदरणीय अम्बिका जी यहां पर बैठी हैं, एच.एल. हंसपाल जी हैं, वीरेन्द्र कटारिया जी हैं, फिर उनका पांच साल का टर्म पूरा हुआ। महोदय, तब किसी ने भी आपित नहीं की, लेकिन उस समय भी तो यह बात आ सकती थी कि शहीदों के परिवार का कोई व्यक्ति इसमें होता। हम में से किसी ने कोई आपित नहीं की है। कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद लोग हटेंगे, इसमें विवाद का क्या कारण है - कोई कारण नहीं है। आज जो पांच वर्षों की कमेटी है, जो वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक की है, उसमें माननीय प्रकाश सिंह जी बादल हैं, श्री तरलोचन सिंह जी, जो पूर्व सांसद हैं और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वे हैं और श्री श्वेत मलिक जी, इस सदन के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपित नहीं है और न कोई आपित होनी चाहिए।

उपसभापित महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि मेरे पास जो कागज थे, उनमें से मैंने जितने कागज मिनिट्स के रूप में निकाले थे, उनमें मैंने देखा कि आजादी से पहले जिसमें सरकार और संस्थाएं, दोनों शामिल रही हों, उसका कामकाज इतना लचर होगा, इसका अंदाजा, जीवन में कभी किसी छोटे-मोटे ट्रस्ट को देखकर भी नहीं लगाया जा सकता है। जहां आप यह बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू ही इस ट्रस्ट की रीढ़ थे और इस ट्रस्ट को बनाने में सन् 1920 में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 1923 में पार्टी तोड़कर स्वराज पार्टी बना ली थी।

उपसभापित महोदय, जितना मैं रिकार्ड पढ़ रहा था, उससे मुझे मालूम हुआ कि उसमें जो भी पैसा आया, वह ट्रस्ट ने दिया। और तो और, आजादी के बाद, वर्ष 1951 के ट्रस्ट के बाद, एक स्थित ऐसी भी आई- हम श्री उधम सिंह जी के प्रति इतना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, जब उस ट्रस्ट की बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए कांग्रेस का कोई नेता तैयार नहीं हुआ था और तब स्वामी श्रद्धानंद जी को उसकी अध्यक्षता करनी पड़ी। क्यों और ऐसा क्या सवाल था, जब आपने और बातों की चर्चा की, तो इसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसकी चर्चा नहीं की। इससे मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसी हैं, जिनमें यह कहकर आप मुक्त मत होइए और इसे कभी विभाजन का आधार मत बनाइए। हम सब की और सदन की जो चिन्ता है, वहीं इस देश की चिन्ता है। क्या हम जिल्यांवाला बाग की उस शहादत को सम्मान दे पाएंगे?

उपसभापित महोदय, मैंने लोक सभा में कहा था कि उस मैदान की मिट्टी का एक-एक कण खून से सना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वह किसका रक्त है। वह पूरा प्रांगण रक्त से भरा है। वहां की मिट्टी 100 साल तक नेशनल म्यूजियम में नहीं आ पाई। मैंने लोक सभा में कहा था कि यह केवल आश्वासन नहीं है और अभी जब मैं वहां गया, तो वहां की मिट्टी मैं लेकर आया, इसलिए कि हमें वह मिट्टी नेशनल म्यूजियम में रखकर आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, बिल्क हमारे पुरखों के रक्त से सनी हुई मिट्टी है।

महोदय, लोग अंगुलियां उठा रहे हैं कि आप वहां के स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां बैठे बहुत से लोग हैं, जिनका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से कोई संबंध नहीं है और वे पेंशन ले रहे हैं, तो क्या इसके लिए हम गुनहगार हैं? मुझे लगता है कि यह कहकर हम किस को समझाना चाह रहे हैं, इस देश की उस पवित्र स्थल की मिट्टी को इस देश के नेशनल म्यूजियम में आने में 100 साल लग गए। यह आपके दिमाग में क्यों नहीं आया?

महोदय, मैं श्री श्वेत मिलक जी की बात की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी स्थिति वास्तव में अच्छी हो। जिस प्रकार की लोग उससे अपेक्षा करते हैं, उसकी स्थिति उससे भी अच्छी बने। किसी सदस्य ने कहा था कि स्वामाविक होना चाहिए, जो दिखे। मैं बताना चाहता हूं कि वह स्वामाविक रहेगा, लेकिन साथ ही, बदलते परिवेश में आने वाली पीढ़ी को यह भी पता होना चाहिए कि वहां क्या और कैसे हुआ और वह बैठकर देखे कि ये विजुअल हैं और जो बची हुई चीजें हैं, वे नई पीढ़ी को दिखनी चाहिए।

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

महोदय, कुएं पर सवाल उठाए गए थे। लोक सभा में कहा गया कि वहां तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। इसलिए मुझे लगता है कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है और आप मुझे अपनी बात समाप्त करने का इशारा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कटुता से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जलियांवाला बाग के इस बिल को यदि हमने पहले पास कर दिया होता - जिस दिन यह बिल मैंने सदन में रखा था, उस दिन श्री उधम सिंह जी की जयंती थी, यदि यह उस दिन पास हो गया होता, तो यह उनके प्रति वास्तविक रूप में श्रद्धांजलि होती। आज का दिन भी बुरा नहीं है, अच्छा दिन है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से विनम्रता के साध कहूंगा कि इसे दल का मामला मत बनाइए, यह राजनीति से मुक्त एक राष्ट्रीय व्यवस्था है। कब सत्ता में कीन होगा, यह कोई देखकर नहीं आया है। सत्ता में कब कीन होगा, इसे जनता तय करती है। जो इसमें नाम दिए गए हैं, वे तमाम वे लोग हैं, जो निर्वाचित होंगे और जिन्हें सरकार नियुक्त करेगी। इस बारे में जो सकारात्मक सुझाव आए हैं कि वहां पर शहीदों के परिवार के लोग उनकी जगह पर होने चाहिए, मैं संस्कृति मंत्री के नाते आपसे यह जरूर कहूंगा। श्री श्वेत मलिक जी ने कुछ बातें उठाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और इस बारे में मैंने पहले भी कहा था और आज भी सदन के मंच पर कह रहा हूं कि जिस दिन जलियांवाला बाग में लाइट एंड साउंड का काम पूरा होगा, उसी दिन से वह संध्या तक ही नहीं, बल्कि रात को 9.00 बजे तक अथवा जो समय आप तय करेंगे, तब तक खुलेगा। वास्तव में देश के लोगों को देखना चाहिए कि जलियांवाला बाग क्या है और जिन व्यवस्थाओं की अपेक्षा की गई है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से पुनः विनती करता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पास कीजिए। मैं मन में कोई खटास रखने की जरूरत नहीं मानता हूं।

उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपसभापति जी ...(ब्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, रामदास अठावले जी, बहस पूरी हो गई है। No, no. Shri Athawale, please take your seat. The question is:

"That the Bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up cause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments; Amendment (Nos.1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, before my decision, I want a small clarification. The essence of my Amendment is that a local representative like M.P. from Lok Sabha or Rajya Sabha, representing any party, maybe, Congress, BJP, Akali Dal, should be given opportunity. This must be borne in mind. I am not moving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you are not moving.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am not moving, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments not moved.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prahalad Singh Patel to move that the Bill be passed.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि बिल पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019. Dr. Harsh Vardhan to move a motion for consideration of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I move:

"That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I would like to briefly...